सक्रिय ग्रामसभा
के
सफल अनुभव
व
फलिया ग्रामसभा बनाने की प्रक्रिया

श्रुति

सक्रिय ग्राम सभा के सफल अनुभव व फलिंया ग्राम सभा बनाने की प्रक्रिया

संपादन : जयश्री भालेराव
प्रकाशन : 'श्रुति'

भूमिका

भारत के आदिवासी क्षेत्र इस समय दो प्रमुख संकटों से गुज़र रहे हैं – पहचान का संकट और संसाधनों की लूट का संकट। हर आदिवासी क्षेत्र में लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिये संघर्षरत हैं। संसाधनों को बचाने और उन्हें सँवारने से ही आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और संस्कृति बचेगी। ऐसे समय में हमारे पश्चिम मध्यप्रदेश में भी आदिवासी संघटनों के कार्यकर्त्ता शोषण के विरुद्ध लड़ने के साथ ही ग्रामसभाओं को मज़बूत बनाकर, लोगों को संगठित कर, अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर रहे हैं और कुछ सफलताएँ भी हासिल कर रहे हैं। **गजानन भाई** (आदिवासी मुक्ति संगठन), **राजेश भाई, शंकर भाई** (खेडूत मज़दूर चेतना संगठन), **मगन भाई** ने अपना समय निकालकर इन कहानियों को लिखा है। आशा है नए युवा साथियों को इनसे कुछ सीख मिलेगी।

लड़ेंगे ! जीतेंगे !
लडे हैं ! जीते हैं !

– जयश्री

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सत्ता की चाभी जनता के पास होती है, जब यह कहा जाता है, तो इसका मतलब केवल यह नहीं है कि जनता अपने वोट के इस्तेमाल से हर स्तर पर सरकारें बना सकती हैं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि जनता के निर्णय और आदेश से ही सरकारें बनाई जा सकती हैं। दूसरा बड़ा मतलब यह भी होता है कि एक बार सरकारें चुन लेने के बाद जनता उन पर ही सब कुछ नहीं छोड़ सकती बल्कि उसे हर रोज़ के निर्णय में अपनी भागीदारी निभाना है ताकि सरकारों पर निगरानी और नियंत्रण रखा जा सके। अंततः एक लोकतन्त्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए ही काम करने की व्यवस्था है।

हमारे देश के संविधान के अनुसार देश में कुल तीन सरकारें एक साथ समानान्तर काम करती हैं। हमारा देश कई लाख गाँवों, कई राज्यों, कई जनजतियों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है, जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हर स्तर पर लोगों द्वारा चुनी गयी व्यवस्था की ज़रूरत है। देश की इन विविधताओं को समझते हुए संविधान में यह व्यवस्था की गयी कि यह संघीय गणराज्य होगा। इसमें संघ के स्तर पर एक सरकार होगी, जिसे संघीय सरकार कहा जाएगा। आम भाषा में हम इसे केंद्र सरकार कहने लगे हैं। दूसरी, हर राज्य में राज्य सरकार होगी, जो उस राज्य की जनता द्वारा चुनी जाएगी। तीसरी, सरकार, हर गाँव में होगी जिसे उस गाँव के लोग चुनेंगे।

इन तीनों सरकारों में टकराव भी होगा, सहमति भी होगी और अधिकारों व कर्त्तव्यों के अपने–अपने दायरे भी होंगे। संविधान में हुए 73वें व 74वें संशोधन के बाद गाँव की सरकारों की शक्तियों व अधिकारों में इज़ाफा हुआ और कुछ मामलों में गाँव की सरकार ही सर्वोपरि हो गयी। इन अधिकारों का विस्तृत विवरण संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। 1996 में 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार हुआ और इन क्षेत्रों की स्थानीय सरकारों को

और सशक्त किया गया। विशेष रूप से गाँव के संसाधनों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार इन्हें मिला।

1992 से ही देश में तीसरी सरकार यानी स्थानीय ग्राम सरकार वजूद में है, लेकिन खुद गाँव के लोग उसे अपनी सबसे प्रमुख सरकार के रूप में नहीं देख पाये। इसकी बड़ी वजह शायद यह भी रही कि यह व्यवस्था शुरुआत से ही नौकरशाही की चपेट में आ गयी। जिन जगहों पर गाँव के लोगों ने इसे सर्वोपरि संस्था और स्व–शासन की सरकार के तौर पर देखा, उसे मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई, वहाँ बड़े परिवर्तन देखने को मिले। ज़रूरी नहीं है कि हर ऐसे गाँव में, जहाँ लोगों ने अपनी सरकार को मजबूत किया, वहाँ संपन्नता आ गयी या सारे कष्ट दूर हो गए हों, लेकिन कम से कम अपने सामुदायिक व सामूहिक निर्णय लेने के अधिकार का प्रयोग तो हुआ और इस देश को चलाने का दंभ भरने वाली तमाम शक्तियों को यह बताया कि हम अपने गाँव के बारे में न केवल सोच सकते हैं बल्कि उसको संविधान द्वारा दिये गए अधिकारों के तहत अमल में भी ला सकते हैं।

जय श्री ताई और अमित भाई द्वारा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में अन्य साथियों की मदद से तैयार किए गए इस दस्तावेज़ में ऐसी ही कहानियाँ हैं, जहाँ लोगों ने अपने गाँव के लिए सोचा, सामूहिक तौर पर निर्णय लिए और उनका अमल करवाया।

ये जीत की ही कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि उन संघर्षों और पहलक़दमियों की कहानियाँ हैं, जिन्हें करने की सहूलियतें और अधिकार संविधान ने दिये हैं। इन्हें बार–बार पढ़ा जाना चाहिए। इन कहानियों को बड़ी जीतों के तौर भी देखा जाना चाहिए, ताकि यह समझा जा सके कि ग्रामसभा की ताकत क्या है?

अक़्सर लोग इस व्यवस्था को बहुत हिकारत से देखते हैं और यह कहते हैं कि यह व्यवस्था काम नहीं कर सकती क्योंकि ज़्यादातर सरपंच भ्रष्ट हैं, लेकिन यही तर्क वो विधान सभाओं और संसद के लिए नहीं करते जबकि भ्रष्टाचार के पोषक और उसमें लिप्त प्रतनिधियों की भरमार वहाँ भी है। किसी भी व्यवस्था को आत्मसात करने में समय लगता है। देश

में पंचायती राज तब आया जब इस देश के लोगों ने यह स्वीकार कर लिया था कि उनके भाग्य विधाता, विधानसभाओं और संसद में ही बैठते हैं। यह मानने में कुछ और समय लग सकता है कि वो अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं, अपने गाँव को अपनी ही चुनी सरकार के माध्यम से ज़्यादा बेहतर ढंग से चला सकते हैं।

इस दस्तावेज़ में हमें तीन तरह की कहानियाँ मिलती हैं। पहली, जहाँ ग्रामसभा ने एक सांवैधानिक इकाई के तौर पर अपने प्राकृतिक संसाधनों पर तमाम शक्तियों के खिलाफ निर्णय लिए। दूसरी, जहाँ संघीय सरकार द्वारा संचालित, लेकिन ग्राम पंचायतों के अधीन तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने के प्रयास किए और वो बेहतर ढंग से हो सके। और तीसरी तरह की कहानियाँ वो हैं, जहाँ ग्रामसभा ने एक राजनैतिक व सामाजिक संस्था के तौर पर सुधार के काम किए।

यह तीनों पक्ष महत्त्वपूर्ण हैं, जहाँ ग्राम सभा कई आयामों में सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका निभा रही है।

हम उम्मीद करते हैं कि कुछ चुनिन्दा कहानियों का ये छोटा सा दस्तावेज़ स्थानीय स्तर पर स्व–शासन लाने के प्रयासों को लोगों के सामने लाएगा और इससे प्रेरित होकर स्व–शासन की आदिम इच्छाओं को बल मिलेगा। देश का संविधान तो ख़ैर इसके समर्थन में खड़ा ही है। इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ को लोक–वृत्त में लाने के लिए इसमें शामिल सभी साथियों का शुक्रिया और आगे के प्रयासों के लिए हमारी सोलीडैरिटी!!!

साथी भाव के साथ

सत्यम, श्वेता और **'श्रुति टीम'**

अनखड नदी में हो रहे अवैध रेत-खनन को एकजुटता से रोक दिया !

- मगन कनासिया

अलीराजपुर का सोरवा क्षेत्र एक सुंदर इलाका है । ताड़–महुए के पेड़, जंगल और तेज–तर्रार भील लोग यहाँ की पहचान हैं । आदिवासी वीर छितू किराड का पुराना बँगला भी यहाँ स्थित है, जो अब पुलिस थाना बन चुका है।

यहाँ एक गाँव है बडदला । गाँव के बीच में से अनखड नदी बहती है। इस नदी में से अवैध रूप से बड़े पैमाने पर बालू रेत निकाली जा रही थी । लोगों के ध्यान में आया कि नदी किनारे की मिट्टी अब धँस कर बह जा रही है और खेत बर्बाद होने वाले हैं । ऐसा ही चलता रहा तो पानी, रेत और स्वयं नदी का बहाव भी ख़त्म हो जाएगा । ग्रामीणों एवं ग्राम सभा की अनुमति के बग़ैर ही यह रेत–खनन चल रहा था ।

गाँव के कार्यकर्त्ता मगन की पहल पर लोगों ने ग्राम–सभा की बैठक की। हम अपनी रेत नहीं देना चाहते हैं और ठेकेदार का लायसेन्स निरस्त किया जाए, ऐसा प्रस्ताव ग्रामसभा ने पारित किया । प्रस्ताव की कॉपी एस डी एम, थानेदार और खनिज विभाग को भेजी गई । अधिकारियों ने जवाब दिया कि 'लायसेन्स भोपाल से जारी हुआ है । हम कुछ नहीं कर सकते।' गाँव के लोग समझ गए कि ठेकेदार के दबाव में आकर अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं।

'इस पर कहीं का भी लायसेन्स हो, अगर हमारा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, तो यहाँ का कलेक्टर इसे तत्काल रोके', ऐसी लोगों ने माँग की । यह ऐलान किया गया कि रेत खनन नहीं रुकेगा, तो 'रेत बचाओ संघर्ष समिति' द्वारा 15 फरवरी से सत्याग्रह आंदोलन चलाया जायेगा । 15 फरवरी से गाँव के महिला–पुरुष अनखड नदी के बीचों–बीच तंबू तानकर सत्याग्रह पर बैठ गए ।

लोग अपनी माँग पर अडिग रहे । सत्याग्रह का अख़बारों में भी प्रचार हुआ । लोगों की जीवटता और संघर्ष के सामने सरकार को घुटने टेकने

पड़े और अनखड नदी का अवैध बालू रेत खनन रोकना पड़ा ।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बयान देना पड़ा कि ग्रामसभा की अनुमति के बिना कोई भी रेत खनन का कार्य 5वीं अनुसूचि के इलाके में नहीं करने दिया जाएगा। ●●

न लोक सभा, न विधान सभा!
सबसे ऊँची ग्राम सभा!

विकास योजना लोगों ने खुद बनाई

- मगन कनासिया

देश भर के जन–संगठनों के दबाव से सन् 2005 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी ऐक्ट (MNREGA) बनाया गया । जो भी ग्रामीण माँग करेगा, उसे सौ दिनों का रोज़गार सोलह दिनों के अंदर अपने ही गाँव में देने की बात इस कानून में सुनिश्चित की थी ।

अपने गाँव या फलिये की योजना खुद ही ग्रामसभा में बनाकर काम चालू करवाने का अधिकार लोगों को दिया गया था । उदासीन नौकरशाही के कारण इस योजना का फ़ायदा ग्रामीण भारत को मिल नहीं पाया । अन्य योजनाओं की तरह यह कानून भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया । समय पर मजदूरी का भुगतान न होने से परेशान लोगों ने इसकी तरफ पीठ फेर दी । जॉब कार्ड की माँग, बेरोज़गारी भत्ते की माँग, रुकी हुई मज़दूरी की माँग को लेकर कहीं कहीं रैलियाँ–धरने चलते रहे, लेकिन खुद ही अपने गाँव की योजना बनाकर, उस पर अडिग रहकर उसका कार्यान्वयन करने के उदाहरण विरले ही देखने को मिलते हैं ।

ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण है ग्राम बडदला (सोरवा के पास), ब्लॉक अलीराजपुर का ।

बडदला बारह फलियों वाला एक बड़ा सा गाँव है । सूरबयडी फलिये के लोगों ने अपनी ग्रामसभा की ओर से निर्णय लिया कि हमें अपने अपने खेतों में मेडबंदी करनी है । उसका एक प्रस्ताव बनाया । ज़मीन का समतलीकरण, मेडबंदी और पानी की व्यवस्था करने से पलायन पर कुछ हद तक रोक लग सकती है, इस बात को ग्रामीण अपने अनुभव से अच्छी तरह जानते हैं ।

8–10 लोगों ने कहा कि हमारे खेतों में काम करना है । सचिव को नाम लिखाये, खसरा नकल दे दी । फिर पटवारी को बुलाया । नक्शा बनाया। ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करके प्रोजेक्ट बनाया और सचिव ने उसे सी ई ओ को दे दिया ।

फिर लोगों ने बिना किसी मंत्री, अधिकारी, सरपंच को बुलाए खुद ही उद्घाटन किया और पाले बनाना शुरु किया । मज़दूरों में से एक ही जने को मेट बनाया, जो रोज़ काम के साथ रजिस्टर भी भर देता था । बीच बीच में कोई कर्मचारी देखने आते थे ।

इस तरह डेढ़ महीने तक काम चला और सात लोगों के खेतों में पालाबंदी हुई ।

इसी तरह पानी की व्यवस्था करने के लिये तालाब बनाने का प्रस्ताव भी लोगों ने ग्राम सभा में पारित किया था।

इंजीनियर आकर, नप्ती करके, नक्शा बनाकर मौके पर चूना डालकर निकल गये ।

लेकिन बाद में लोगों की राय बनी कि यह जगह ठीक नहीं है । यहाँ पानी नहीं रुक पाएगा । ज़मीन कम है । फिर सबकी राय से दूसरी जगह को निश्चित किया गया । वहाँ फिर से नापती कर, राख डालकर लाइन खींची गई और खुद ही उद्घाटन करके काम शुरु कर दिया । चार–पाँच लाख रुपये में तालाब बन गया । किसी मशीन को काम में नहीं लगाया गया । अब इस तालाब में खूब पानी रुकता है । मछली भी पाल रखी है । सिंचाई भी हो रही है । दस एकड़ में सिंचाई हो पाती है । तीन फसलें ले लेते हैं । इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता।

●●

हमारे गाँव में हम सरकार !

पत्रिका 7
इंदौर, बुधवार 12 जनवरी, 2011

ग्रामीणों ने स्वयं जुटाया रोजगार

काम का शुभारम करते ग्रामीण।

सिटी रिपोर्टर @ आलीराजपुर

ग्राम पंचायत बड़दला के ग्रामीणों ने मेहनत के बल पर अपनी किस्मत खुद लिखने का बीड़ा उठाया है। एकता व साहस के बल पर उसे सच भी कर रहे हैं। रोजगार नहीं मिलने से परेशान ग्रामीण अपनी ऊबड़-खाबड़ जमीन पर स्वयं खेती नहीं कर पा रहे थे। इस क्षेत्र के आदिवासी काम नहीं मिलने के बावजूद रोजगार की तलाश में अन्य क्षेत्रों में नहीं गए और यहीं रहकर रोजगार के साधन तलाशने में जुट गए। इसी बीच ग्रामीणों को किसी ने भूमि शिल्प योजना के बारे में जानकारी दी। जानकारी मिलते ही ग्रामीण अपनी ऊबड़-खाबड़ पड़ी जमीन को समतल करने में जुट गए। सरपंच इंदरसिंह ने बताया, भूमि का समतलीकरण होने के बाद यहां खेती करना आसान होगा और ग्रामीण मेहनत कर अपनी आजीविका चलाने में सफल रहेंगे।

समिति बनाई

खेड़ूत मजदूर चेतना संगठन के मगन कनेश ने बताया, ग्राम के सभी लोगों ने समिति बनाकर तय कि मरेगा के तहत भूमि शिल्प योजना भी चल रही है, लेकिन जिले में योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। इस पर ग्रामीणों ने मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत से भूमि शिल्प के तहत काम की मांग की। ग्राम पंचायत ने कुछ समय बाद ग्रामीणों को इस कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। ग्रामीणों ने भूमि सुधार का कार्य भूमिपूजन कर प्रारंभ कर दिया। इस दौरान वहां न कोई अधिकारी मौजूद था और ना ही कोई नेता। भूमि सुधार कार्य में लगे बालूसिंह, मोहनसिंह, चाहरिया भाई, नवलसिंह, शंकर भाई, मसरीबाई, शारदा बाई, राजलीबाई ने बताया, हमें यहां काम करने पर 100 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिल रही है। काम पूरा होने पर हम लोग यहां खेती कर सकेंगे।

आदिवासी रूढ़ि प्रथा एवं पेसा (PESA) कानून की लड़ाई और जीत

एफ आई आर रद्द करवाई

- गजानंद ब्राह्मणे

साथियों, मैं मध्यप्रदेश के बडवानी जिले के आंदोलन के दो–एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ । अक्सर देश भर में यह देखने में आता है कि आदिवासी के नाम से कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने में जाकर एफ आई आर दर्ज़ करवाता है, तो पुलिस बिना जाँच किये ही आदिवासी पर एफ आई आर दर्ज़ कर देती है । इसी प्रकार हमारे जिले के एक गाँव में शादी के कार्यक्रम में नाचते नाचते दो युवाओं का आपस में विवाद हो गया । विवाद का निराकरण उसी समय मौके पर ही कर दिया गया । लेकिन एक पक्ष ने रात में पुलिस में जोर एफ आई आर लिखवा दिया। इस कारण दूसरे पक्ष पर महिला अत्याचार की विभिन्न धाराओं में पुलिस ने प्रकरण दर्ज़ कर लिया । जब गाँव में पुलिस आई, तो दूसरे पक्ष को पता चला । तो दूसरे पक्ष ने गाँव के रूढ़िगत मुखिया, पटेल, पुजारा, गाँव डाहला, बारगाया को बोलकर रूढ़िगत ग्राम सभा की बैठक बुलाई। तब रूढ़िगत मुखियाओं ने रिपोर्टकर्त्ता पक्ष से पूछा, 'विवाद का निराकरण तो हम लोगों ने उसी समय कर दिया था, तो आपने हमको (रूढ़िगत मुखिया को) पूछे बिना झूठी रिपोर्ट पुलिस थाने में क्यों की ?' तब रिपोर्टकर्त्ता ने रूढ़िगत मुखियाओं को बताया, 'मैंने ग्राम पंचायत के चुनाव में सरपंच पद के लिये चुनाव लड़ा था । तब उक्त व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं दिया था । इस कारण मैं पंचायत चुनाव में सरपंच पद से हार गया । चुनाव में मेरे तीन लाख रुपये भी खर्च हो गए । इसलिये मैंने पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाई । चुनाव में लगा हुआ मेरा तीन लाख रुपया दिलवा दो, मैं अपनी रिपोर्ट वापिस ले लूँगा ।' तब रूढ़िगत मुखिया ने कहा, 'हम अन्यायपूर्ण तरीके से न्याय नहीं करेंगे और बेगुनाह को सज़ा नहीं दिलवाएँगे।' इस प्रकार की कहानी के बाद गाँव के

रूढ़िगत मुखियाओं ने इस झूठी रिपोर्ट पर बेगुनाह को भी पुलिस थाने में जाकर झूठी रिपोर्ट के विरुद्ध शिकायत दर्ज़ करवाने का आदेश दिया । तब निर्दोष व्यक्ति ने गाँव के रूढ़िगत मुखियाओं के साथ पुलिस थाने में जाकर अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों की निष्पक्ष जाँच करने का निवेदन किया ।

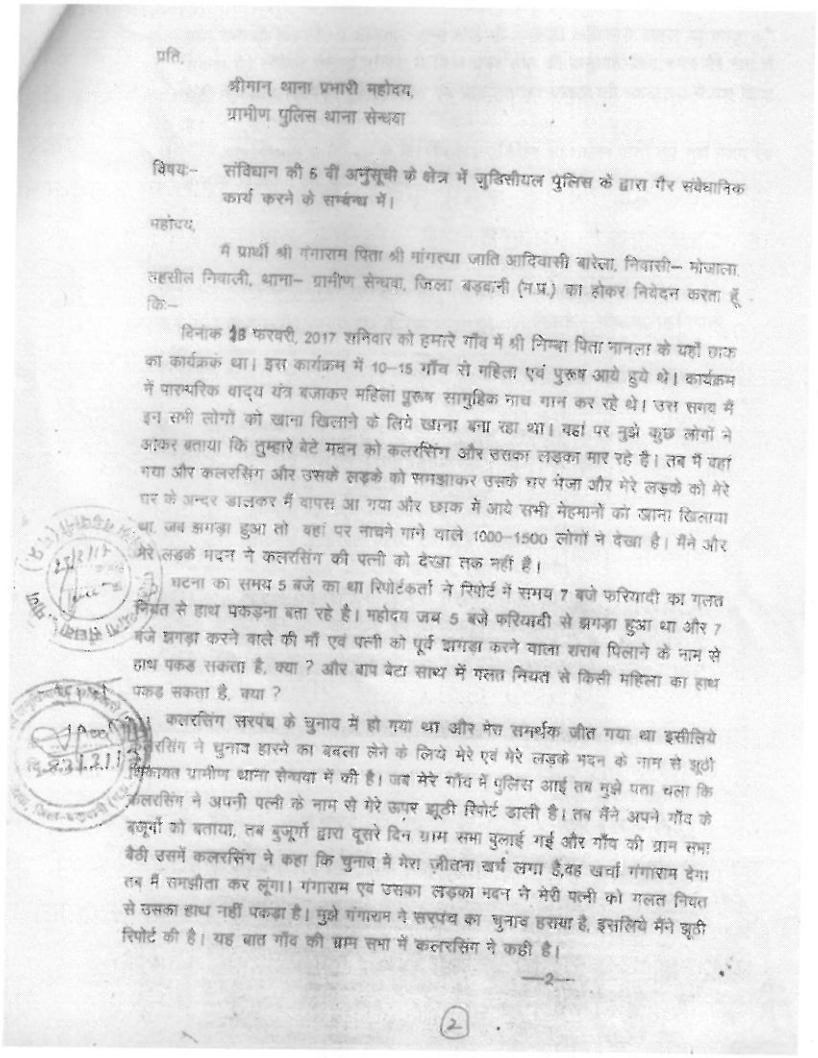

प्रति,

श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय,
ग्रामीण पुलिस थाना सेन्धवा

विषयः— संविधान की 6 वीं अनुसूची के क्षेत्र में जुडिसीयल पुलिस के द्वारा गैर संवैधानिक कार्य करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैं प्रार्थी श्री गंगाराम पिता श्री मांगत्या जाति आदिवासी बारेला, निवासी— मोजाला तहसील निवाली, थाना— ग्रामीण सेन्धवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) का होकर निवेदन करता हूँ कि:—

दिनांक 18 फरवरी, 2017 शनिवार को हमारे गाँव में श्री निम्बा पिता नानला के यहाँ छाक का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में 10–15 गाँव से महिला एवं पुरूष आये हुये थे। कार्यक्रम में पारम्परिक वाद्य यंत्र बजाकर महिला पुरूष सामुहिक नाच गान कर रहे थे। उस समय मैं इन सभी लोगों को खाना खिलाने के लिये खाना बना रहा था। वहां पर मुझे कुछ लोगों ने आकर बताया कि तुम्हारे बेटे मदन को कलरसिंग और उसका लड़का मार रहे हैं। तब मैं वहां गया और कलरसिंग और उसके लड़के को समझाकर उसके घर भेजा और मेरे लड़के को मेरे घर के अन्दर डालकर मैं वापस आ गया और छाक में आये सभी मेहमानों को खाना खिलाया था, जब झगड़ा हुआ तो वहां पर नाचने गाने वाले 1000–1500 लोगों ने देखा है। मैंने और मेरे लड़के मदन ने कलरसिंग की पत्नी को देखा तक नहीं है।

घटना का समय 5 बजे का था रिपोर्टकर्ता ने रिपोर्ट में समय 7 बजे फरियादी का गलत नियत से हाथ पकड़ना बता रहे है। महोदय जब 5 बजे फरियादी से झगड़ा हुआ था और 7 बजे झगड़ा करने वाले की माँ एवं पत्नी को पूर्व झगड़ा करने वाला शराब पिलाने के नाम से हाथ पकड़ सकता है, क्या ? और बाप बेटा साथ में गलत नियत से किसी महिला का हाथ पकड़ सकता है, क्या ?

कलरसिंग सरपंच के चुनाव में हो गया था और मेरा समर्थक जीत गया था इसीलिये कलरसिंग ने चुनाव हारने का बदला लेने के लिये मेरे एवं मेरे लड़के मदन के नाम से झूठी शिकायत ग्रामीण थाना सेन्धवा में की है। जब मेरे गाँव में पुलिस आई तब मुझे पता चला कि कलरसिंग ने अपनी पत्नी के नाम से मेरे ऊपर झूठी रिपोर्ट डाली है। तब मैंने अपने गाँव के बजूर्गों को बताया, तब बुजूर्गों द्वारा दूसरे दिन ग्राम सभा बुलाई गई और गाँव की ग्राम सभा बैठी उसमें कलरसिंग ने कहा कि चुनाव में मेरा जीतना खर्च लगा है,वह खर्चा गंगाराम देगा तब मैं समझौता कर लूंगा। गंगाराम एवं उसका लड़का मदन ने मेरी पत्नी को गलत नियत से उसका हाथ नहीं पकड़ा है। मुझे गंगाराम ने सरपंच का चुनाव हराया है, इसलिये मैंने झूठी रिपोर्ट की है। यह बात गाँव की ग्राम सभा में कलरसिंग ने कही है।

—2—

(2)

ग्राम सभा के फैसलों को छोड़कर अन्य कोई भी सरकारी अधिकारी दखल या बदल नहीं सकता है। लेकिन सेन्धवा पुलिस ने बिना ग्राम सभा की अनुमति लिये बगैर मेरे नाम से झूठी शिकायत लिखकर मुझे परेशान एवं प्रताड़ित कर जबरदस्ती न्यायालय में पेश किया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि भारतीय संविधान का पालन करते हुए मुझे न्याय एवं इन्साफ दिलवाने की कृपा करेंगे।

यही विनय।

प्रार्थी

(गंगाराम पिता मागत्या)
निवसी— मोजाला,तह.निवाली
थाना ग्रामीण सेन्धवा,
जिला बड़वानी (म.प्र.)

प्रतिलिपिः—

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
2. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर।
3. माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय,सेन्धवा
4. माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सेन्धवा
5. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला बड़वानी।
6. श्रीमान् एस.डी.ओ.पी.महोदय, सेन्धवा जिला बड़वानी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रार्थी

(गंगाराम पिता मागत्या)
निवसी— मोजाला,तह.निवाली
थाना ग्रामीण सेन्धवा,
जिला बड़वानी (म.प्र.)

लेकिन पुलिस ने बिना जाँच किये ही पूर्व से एफ आई आर दर्ज़ कर ली थी, तो कैसे निर्दोष व्यक्ति की शिकायत से पुलिस को अपनी ग़ल्ती महसूस होती ?

ऐसी परिस्थिति में पीड़ित व्यक्ति ने संगठन के कार्यकत्ताओं के पास जाकर अपनी आप–बीती सुनाई । तब संगठन ने उसे ग्राम सभा बुलाने को कहा और ग्राम सभा के फैसले को पुलिस को देने को कहा । तब गाँव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया । ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों ने यह निर्णय दिया कि पुलिस ने बिना जाँच किये एफ आई आर दर्ज़ की है । उस एफ आई आर की निष्पक्ष जाँच कर निर्दोश व्यक्ति पर कार्यवाही करने से रोकी जाए । अपना यह प्रस्ताव पास करके ग्राम सभा ने पुलिस के पास भेजा ।

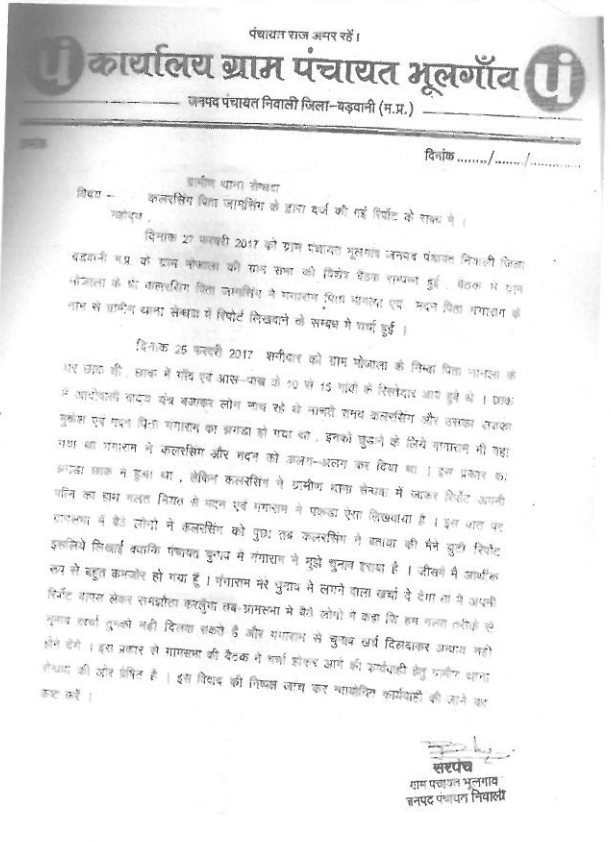

पंचायत राज अमर रहें।

कार्यालय ग्राम पंचायत भूलगाँव

जनपद पंचायत निवाली जिला–बड़वानी (म.प्र.)

दिनांक ..../......./..........

ग्रामीण थाना सेंधवा

विषय – कलरसिंग पिता जामसिंग के द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के संबंध मे ।

महोदय,

दिनांक 27 फरवरी 2017 को ग्राम पंचायत भूलगांव जनपद पंचायत निवाली जिला बड़वानी म.प्र. के ग्राम मोजाला की ग्राम सभा की विशेष बैठक सम्पन्न हुई . बैठक मे ग्राम मोजाला के श्री कलरसिंग पिता जामसिंग ने गंगाराम पिता भागस्या एवं मदन पिता गंगाराम के नाम से ग्रामीण थाना सेंधवा मे रिपोर्ट लिखवाने के सम्बंध मे चर्चा हुई ।

दिनांक 25 फरवरी 2017 शनीवार को ग्राम मोजाला के निम्बा पिता नानस्या के घर छाक थी . छाक मे गाँव एवं आस–पास के 10 से 15 गांवो के रिश्तेदार आए हुवे थे । छाक मे आदीवासी वाद्य यंत्र बजाकर लोग नाच रहे थे नाचते समय कलरसिंग और उसका लड़का मुकेश एवं मदन पिता गंगाराम का झगडा हो गया था , इनको छुड़ाने के लिये गंगाराम भी वहा गया था गंगाराम ने कलरसिंग और मदन को अलग–अलग कर दिया था । इस प्रकार का झगडा छाक मे हुआ था , लेकिन कलरसिंग ने ग्रामीण थाना सेंधवा में जाकर रिपोर्ट अपनी पत्नि का हाथ गलत नियत से मदन एवं गंगाराम ने पकड़ा ऐसा लिखवाया है । इस बात पर ग्रामसभा में बैठे लोगो ने कलरसिंग को पुछा तब कलरसिंग ने बताया की मैंने झुठी रिपोर्ट इसलिये लिखाई क्योंकि पंचायत चुनाव मे गंगाराम ने मुझे चुनाव हराया है । जिससे मै आर्थीक स्तर से बहुत कमजोर हो गया हूँ । गंगाराम मेरे चुनाव मे लगने वाला खर्चा दे देगा तो मै अपनी रिपोर्ट वापस लेकर समझौता करलुंगा तब ग्रामसभा मे बैठे लोगो ने कहा कि हम गलत तरीके से चुनाव खर्चा तुमको नही दिलवा सकते है और गंगाराम से चुनाव खर्च दिलवाकर अन्याय नही होने देंगे । इस प्रकार से ग्रामसभा की बैठक मे चर्चा होकर आगे की कार्यवाही हेतु ग्रामीण थाना सेंधवा की ओर प्रेषित है । इस विवाद की निष्पक्ष जांच कर न्यायोचित कार्यवाही की जाने का कष्ट करें ।

सरपंच
ग्राम पंचायत भूलगाव
जनपद पंचायत निवाली

ग्राम सभा के आदेश के बाद भी पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति पर न्यायालय तहसीलदार के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 151, 107, 116 (3) के तहत कार्यवाही करने के लिये स्तगासा तहसीलदार न्यायालय में पेश कर दिया।

संगठन ने स्तगासा का जवाब न्यायालय तहसीलदार को निर्दोष व्यक्ति के द्वारा दिलवाया गया, वह इस प्रकार है –

जिला–बड़वानी म.प्र.

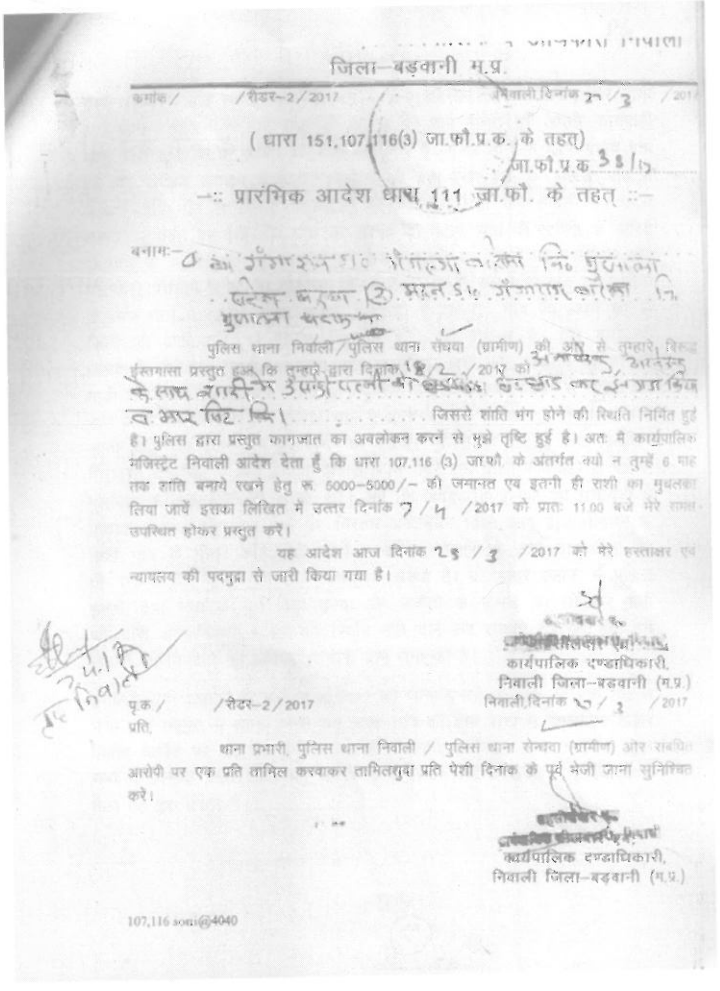

क्रमांक / /रीडर–2/2017 निवाली,दिनांक 27 /3 /2017

(धारा 151,107,116(3) जा.फौ.प्र.क. के तहत)

जा.फौ.प्र.क 38/17

–:: प्रारंभिक आदेश धारा 111 जा.फौ. के तहत ::–

बनामः– [illegible]

पुलिस थाना निवाली/पुलिस थाना सेंधवा (ग्रामीण) की ओर से तुम्हारे विरूद्ध ईस्तगासा प्रस्तुत हुआ कि तुम्हारे द्वारा दिनांक 18/2/2017 को [illegible] जिससे शांति भंग होने की स्थिति निर्मित हुई है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत कागजात का अवलोकन करने से मुझे तृष्टि हुई है। अतः मैं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट निवाली आदेश देता हुँ कि धारा 107,116 (3) जा.फौ. के अंतर्गत क्यो न तुम्हें 6 माह तक शांति बनाये रखने हेतु रू. 5000–5000/– की जमानत एव इतनी ही राशी का मुचलका लिया जायें इसका लिखित मे उत्तर दिनांक 7/4 /2017 को प्रातः 11.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 /3 /2017 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायलय की पदमुद्रा से जारी किया गया है।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी,
निवाली जिला–बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क / /रीडर–2/2017 निवाली,दिनांक 27 / 3 /2017

प्रति,

थाना प्रभारी, पुलिस थाना निवाली / पुलिस थाना सेंधवा (ग्रामीण) ओर संबंधित आरोपी पर एक प्रति तामिल करवाकर तामिलशुदा प्रति पेशी दिनांक के पूर्व भेजी जाना सुनिश्चित करे।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी,
निवाली जिला–बड़वानी (म.प्र.)

107,116 soni@4040

इस जवाब के बाद न्यायालय कोर्ट का मुकदमा तहसीलदार ने खारिज कर दिया, लेकिन पुलिस ने ग्राम सभा के आदेश को नहीं मानते हुए अपनी कार्यवाही चालू रखी । वह पीड़ित व्यक्ति को बार–बार थाने में हाजिर होने के लिये दबाव बना रहे थे । लेकिन संगठन ने पीड़ित व्यक्ति को बता रखा था कि पुलिस गाँव में आएगी और गाँव के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर सकती है । पहले आपकी सहमति बनाएगी और गाँव के सरपंच या पटेल, गाँव के मुखिया के ज़रिये गाँव के व्यक्ति की भी सहमति बनाएगा । उसके बाद थाने पर बुलाएगा और गिरफ्तारी पंचनामा में पुलिस लिखेगा कि मुलज़िम अपनी स्वेच्छा से गाँव के मुखिया के साथ थाने में हाज़िर होकर अपनी गिरफ्तारी दे रहा है । गाँव एवं अपने घर से किसी भी आदिवासी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है । इस बात की जानकारी होने के कारण जब–जब गाँव में पुलिस आती थी, तब–तब पुलिस की गाड़ी में जाकर आरोपी बैठ जाता था । पुलिस उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारकर भाग जाती थी । नोटिस देने पुलिस गाँव में आती थी और वह नोटिस दूर से देकर चली जाती थी । इस प्रकरण में मुलज़िम को देखकर पुलिस भागती थी और मुलज़िम गिरफ्तारी देना चाहता था । पुलिस अपने ऊपर होने वाली कायर्सवाही कि डर से मुलज़िम को गिरफ्तार नहीं करती थी क्योंकि आदिवासी इलाकों की पंचायतों में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू है । अधिनियम के तहत गाँव के भीतर आने वाले सभी सामाजिक सेक्टर के ऊपर ग्राम सभा का नियंत्रण है और पुलिस भी एक सामाजिक संस्था है । तो, हमारे इलाके में पुलिस हमारी ग्राम सभा से पूछे बिना हत्या और डकैती के मामले को छोड़कर सभी फौजदारी और दीवानी मामले की रिपोर्ट नहीं दर्ज़ कर सकती है क्योंकि इन मामलों को निपटाने का अधिकार हमारी ग्राम सभा को है। इसलिये ग्राम सभा ने दिनांक 15–9–17 को थाना प्रभारी के नाम पर एक नोटिस भेजा । उस नोटिस में थाना प्रभारी को उक्त गाँव की ग्राम सभा में उपस्थित होकर निर्दोष व्यक्ति पर की गई झूठी कार्यवाही के सभी दस्तावेज़ लेकर रूढ़िगत ग्रामसभा में दिनांक 25–9–17 को उपस्थित

होने का प्रस्ताव रूढ़िगत मुखियाओं ने भेजा । वह इस प्रकार है –

प्रति, दिनांक:

श्री पाटील ए.एस.आई
ग्रामीण थाना सेन्धवा, जिला बडवानी म.प्र.

विषयः– हमारे गाँव के श्री गंगाराम पिता मांगत्या एवं मदन पिता गंगाराम के विरूध्द झूठी शिकायत लिखकर भारतीय संविधान के विरुध्द कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– दिनांक 15/12/2017 की धारा–41 (क) द.प्र.स.के तहत् सूचना पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उन्नति नियंत्रण के बारे में पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 40/1996 की धारा– 4 (ख)(घ) एवं अनुच्छेद 13 (3)(क) में आदिवासी रूढि प्रथा पारम्परिक गाँव व्यवस्था को प्राप्त विधि के बल के अनुसार :–

जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) (क) के तहत् आदिवासियों के रूढ़ि व प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। इसलिये दिनांक 25/09/2017 को ग्राम मोजाली के रूढ़िगत मुखिया आपको नोटिस देकर कहा था कि आदिवासी के सम्पूर्ण वर्जित एवं आंशिक वर्जित इलाके में आय.पी.सी. एवं सी.आर.पी.सी. लागु करने के लिये राज्यपाल या राष्ट्रपति की ओर से राजपत्र (गजेट) घोषित किया गया है। क्या ? अगर राष्ट्रपति ने राजपत्र घोषित कर दिया है तो वे दस्तावेज लेकर हमारी रूढ़ि वाली ग्राम सभा मे उपस्थित होने को कहा था लेकिन आप दिनांक 25/09/2017 को रूढ़िवाली पंच ग्राम सभा में क्यों नहीं गये ?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) (2) के तहत् आदिवासी इलाके में आदिवासियों को पूर्ण स्वशासन व नियंत्रण की शक्ति है तो आपने कैसे रूढ़ि प्रथा वाली ग्राम सभा से पूछे बिना ही मदन एवं गंगाराम के ऊपर दिनांक 18/02/2017 को झूठा प्रकरण क्रमांक 106/2017 धारा– 354, 354ए,294, 323, 34 भादवि के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कैसे कर लिया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (5) (6) के तहत् आदिवासियों के स्वशासन व नियंत्रण क्षेत्र में गैर लोगों के मौलिक अधिकार लागू नहीं होते है। फिर भी आपने ग्राम मोजाला के गंगाराम व मदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) भाग (ख) पैरा (4) (1) व (5)(1) में स्पष्ट कहा गया है कि विधान सभा या राज्य सभा द्वारा बनाया गया कोई भी सामान्य कानून (आदिवासी) स्वशासन क्षेत्र में लागू नहीं होता है। जैसे– आय.पी.सी.एक्ट सी.आर.पी.सी. एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, भूमि अधिग्रहण कानून, आबकारी अधिनियम भू–राजस्व संहिता अधिनियम, पंचायत अधिनियम 1993 आदि तो आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के विरुध्द में जाकर गंगाराम एवं मदन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। क्या ?

—2—

ग्राम सभा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का पारित आदेश भारत के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। लेकिन आपने बिना ग्राम सभा के विचार विमर्श के ही मदन और गंगाराम पर प्रकरण दर्ज किया है। क्या आपको भारतीय संविधान एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों का पालन नहीं करना है ?

इसलिये दिनांक 27 फरवरी, 2017 को ग्राम मोजाला का सर्व सम्मति से पास किया गया ग्राम सभा के प्रस्ताव को आपने अमान्य कर दिया है।

पंचायत अनुबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 पंचायत से सम्बन्धित संविधान के भाग–9 के उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबन्ध करने के लिये अधिसूचना दिनांक 24/12/1996 से प्रभावी है। जिसमें अधिनियम की धारा–4(घ) के तहत् प्रत्येक ग्रामसभा जनसाधारण की परम्पराओं और विवाद निपटान के रूढ़िक ढंग का संरक्षण एवं परीक्षण करने में ग्राम मोजाला की ग्राम सभा सक्षम थी तो आपने बिना ग्राम सभा के पूछे ही गंगाराम व मदन पर केस दर्ज कर लिया है ? क्या आप भारत की संसद द्वारा बनाये गये कानून को नही मानते है ? अगर आप पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 को मानते तो मोजाला की ग्राम सभा को सम्मान देकर अधिनियम की धारा–4 (ड)(6) के तहत् ग्राम मोजाला की ग्राम सभा के नियंत्रण में रहते हुए मदन एवं गंगाराम के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज नहीं करते और ग्रामसभा के आदेश का पालन करते।

माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला ए.पी.सेन बनाम 1971 आदिवासी हिन्दु नहीं है। वे हिन्दु कानून व्यवस्था से संचालित नहीं होते है। अतः भारत के जिस किसी भू–भाग में निवास करे वहाँ वे अपना स्वशासन व्यवस्था (रूढ़ि या प्रथा) से ही संचालित होंगे।

आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले एवं भारतीय संविधान को नहीं मानते हुवे। ग्राम मोजाला के मदन एवं गंगाराम के ऊपर प्रकरण दर्ज कर भारतीय संविधान के विरूध्द में जाकर काम किया है। इसलिये आपके ऊपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 124 (ए) के तहत् देशद्रोह का मामला क्यों न दर्ज कराया जाय। साथ ही आपके ऊपर एट्रोसीटी एक्ट के तहत् भी कार्यवाही की जा सकती है।

आप भारतीय संविधान को नहीं मानते है। इसलिये नागरीकता अधिनियम 1955 के तहत् क्यों न आपकी नागरिकता समाप्त करने की कार्यवाही आपके ऊपर की जाना चाहिए।

संलग्नः– पूर्व में दिया गया नोटीस

रेवेन्यू रूलस 1972

रूढ़ीगत मुखिया
पटेल–
पुजारा–
वारती–
गाँव डाहला–
कोटवार–

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् पटवारी ग्राम पंचायत भूलगाँव (ग्राम मोजाला)
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय निवाली।
3. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, बड़वानी।

जिस प्रकार से ग्राम सभा ने थाना प्रभारी को नोटिस भेजा था, नोटिस मिलते ही थाना प्रभारी ने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए धारा 41 का नोटिस संबंधित व्यक्ति को भेज दिया । नोटिस इस प्रकार है –

कार्यालय पुलिस थाना सेन्धवा ग्रामीण जिला बडवानी (म.प्र)

क्रमांक.- / 17 दिनांकः- 15/12/17

धारा 41 (क) द.प्र.स. के तहत सुचना पत्र

प्रति,

नाम_-(1) गंगाराम पिता मांगत्या जाति बारेला 50 साल

निवासी ग्राम मौंजाला थाना क्षेत्र सेन्धवा ग्रामीण

मोबाईल नंबर- 9617589434

विषयः- धारा 41 (क) द.प्र.स का सुचना पत्र।

आपको सुचित किया जाता है की थाना सेन्धवा ग्रामीण पर दिनांक.18/02/2017 .को आपके विरुद्ध अपराध क्रमांक 106/2017.धारा- 354,354ए, 294,323,34 भादवि .के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध मे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 07 वर्ष कि अवधि से कम सजा के प्रकरण मे गिरफ्तारी की आवश्यकता नही है। आपको धारा 41 (क) द.प्र.स का सुचना पत्र तामील किया जाता है। आपको यह भी सुचित किया जाता है की आप-

1. एसा कोई और अपराध नही करेगे।

2 .उक्त अपराध के साक्ष्य को मिटाएंगे अथवा साक्ष्य के साथ किसी भी रीती मे कोई छेड छाड नही करेगे।

3 .उक्त मामले के साक्षियो को साक्ष्य देने से निवारीत करने हे तु डराएगें धमकाएगें नही एव नही किसी प्रकार से प्रलोभन आदि देंगे नही एव ना ही उनसे कोई वायदा करेंगे ।

4. न्यायलय व्दारा जब भी आपसे अपक्षा की जाएगी आप न्यायालय मे उपस्थीत रहेंगे।

आपको यह भी सुचित किया जाता है की आप दिनांक 15/12/2017 .को समय .11.00. बजे .न्यायालय प्रांगण मे समय पर पर उपस्थित रहेंगे.

नोटिस देने आए सबइंस्पेक्टर ने संबंधित व्यक्ति को कहा, 'कल आपके प्रकरण का चालान कोर्ट में पेश करने वाला हूँ । आप कल ग्यारह बजे कोर्ट में आ जाना ।' दूसरे दिन ग्यारह बजे संबंधित व्यक्ति कोर्ट में जाकर सबइंस्पेक्टर को कहता है, 'साहब, मैं मेजिस्ट्रेट के सामने ऐसे नहीं जाउँगा । आप मुझे गिरफ्तार करके मेंजिस्ट्रेट साहब के सामने चालान के साथ पेश करो । तब मैं मेजिस्ट्रेट के सामने आउँगा और अपनी शिकायत उनसे करूँगा । आपने बिना ग्राम सभा को पूछे मेरे नाम से झूठी एफ आई आर दर्ज़ करके पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम एवं भारतीय कानून का उल्लंघन कैसे किया है, यह मेजिस्ट्रेट साहब को बताउँगा ।' ऐसा बोलने पर सबइंस्पेक्टर ने मुलज़िम की गिरफ्तारी नहीं की और बिना मुलज़िम का चालान कोर्ट में पेश कर दिया । और आज दिनांक तक निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पुलिस या कोर्ट से नोटिस नहीं मिला है । यह मध्यप्रदेश के आदिवासियों का पहला प्रकरण है कि मुलज़िम के बिना कोर्ट में चालान पेश कर देना। इस केस से अनुसूचित इलाके की ग्राम सभा की जीत हुई है । साथ ही आदिवासियों की रूढ़ि प्रथा वाली ग्राम सभा की भी जीत हुई है। ●●

जल, जंगल और ज़मीन
ये हैं जनता के अधीन !

आदिवासी विवाह पद्धति के लिये कानून में प्रावधान

- गजानंद ब्राह्मणे

साथियों, देश भर में आदिवासी संगठनों के लोग पाँचवीं अनुसूचि लागू करने एवं पेसा कानून लागू करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन ने पाँचवीं अनुसूचि और पेसा कानून पर अमल करवाया है । साथियों, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है । आदिवासी धर्मपूर्वी लोग है । हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति–रिवाज़, देवी–देवता, धर्म, अन्य धर्मों के लोगों से अलग है । हमारी परंपरा और रीति–रिवाज़ अलग होने के बाद भी सरकार हमें ज़बरदस्ती हिंदू बनाकर, हमारे ऊपर हिंदू कानून लगाकर हमारे पारंपरिक कानून का उल्लंघन करती है ।

हमारे जिले में आदिवासी युवक–युवती आदिवासी परंपरा से लुगाई शादी करते हैं । तो, कई बार लड़की के पिता पक्ष द्वारा पुलिस थाने में हिंदू विवाह कानून के अनुसार लड़की को नाबालिग बताकर लड़के पर अपहरण, बलात्कार जैसे प्रकरण बनाकर लड़की के पिता के सुपुर्द कर दिया जाता है । पंजीबद्ध कर लड़के को जेल भेज दिया जाता है । छः महीने बाद लड़का जेल से जमानत पर छूट जाता है । तो समाज में झगड़ा तोड़ने की बैठक की जाती है । उसमें समाज के कई स्वार्थी तत्त्वों द्वारा लड़के पक्ष से दो से तीन लाख रुपये आर्थिक दंड दिलवाया जाता है । लड़की को लड़के से अलग किया जाता है । इस प्रकार लड़की पक्ष को लड़के पक्ष से आर्थिक दंड दिलवाता है और कोर्ट में लड़की से आपसी राज़ीनामा दिलवाया जाता है । इससे समाज के कई लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होकर कर्ज़ में डूब रहे हैं और तेज़ी से महाराष्ट्र, गुजरात की ओर पलायन कर रहे हैं । वहाँ पर भी उनको तरह तरह की पीड़ा झेलनी पड़ती है । इसलिये हमारे संगठन ने ऐसे अपराधों के विरुद्ध एक प्रकरण को लेकर काम किया है, वह इस प्रकार है –

एक गाँव की लड़की की सगाई किसी दूसरे गाँव के लड़के के साथ, समाज की परंपरा अनुसार, लड़के–लड़की के परिवार की सहमति से

गाँव के दोनों पक्षों के पंचों ने मिलकर सगाई पक्की कर दी । लेकिन लड़की की सहमति नहीं ली गई थी । शादी की निर्धारित तारीख़ के पूर्व लड़की ने दूसरे लड़के से, जिससे वह प्रेम करती थी, शादी (हुगलाई) कर ली । तब कुछ स्वार्थी तत्त्वों ने लड़की के पिता को लेकर पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी । पुलिस ने लड़के पर अपहरण, बलात्कार जैसी अनेक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लड़के एवं उसके सहयोगी की तलाश करनी शुरु कर दी ।

लड़के के पिता एवं परिवार वालों पर रुबाब जमा रहे थे । पिता एवं परिवार के लोग संगठन से आकर मिले और यह कहानी बताई । तब संगठन ने पुलिस से बचने के लिये पीड़ित परिवार को रास्ता दिखाते हुए कहा कि लड़की से एक आवेदन पत्र इस प्रकार से लिखाकर पुलिस थाने में दिलवाओ । संगठन ने इस प्रकार से लड़के के नाम से आवेदन लिखा, जिसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है ।

श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय,
(शहर) थाना सेन्धवा, जिला बड़वानी (म.प्र.)

विषय– संविधान की 5 वीं अनुसूची के क्षेत्र मे ज्युडिशियल पुलिस के द्वारा गैर संवैधानिक कार्य करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैं प्रार्थी अनिल पिता कुम्मा जाति आदिवासी बारेला निवासी– ग्राम दोंदवाड़ा तहसील निवाली, जिला बड़वानी का होकर निवेदन करता हूँ कि–

आदिवासी बारेला समाज में शादी करने के लिये लड़की की उम्र तय नहीं है। आदिवासी रूढ़ी परम्परा अनुसार जब किसी लड़की की शादी करते है तो शादी करने वाली लड़की को रोटी बनाना आता है, खेत में काम कर लेती है, मासिक धर्म आता है, स्तन उभरे हुये है, और समाज या परिवार में छोटे–बड़े के एक –दुसरों को इज्जत सम्मान देना जानती है। ऐसी लड़की की आदिवासी बारेला समाज में शादियाँ होती है। और इस प्रकार की शादी को बारेला समाज सामाजिक मान्यता देता है। इस क्रम में सबिना पिता रामेश्वर निवासी–भूलगांव की शादी दिनांक 29/08/2017 को ओम पिता शिवप्रसाद डावर निवासी भूरापानी के साथ आदिवासी परम्परा अनुसार हुई है। जिसमें भूलगाँव के पंच एवं भूरापानी के पंचों ने आदिवासी परम्परा अनुसार कुलदेवी की पूजा करते हुये रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार) देजा, 5,000/– का बकरा लेना तय हुआ जिसमें भूरापानी के पंचों ने 2,000/– रूपये भूलगांव पटेल को लाग के रूप में दिये एवं सगाई शादी की बात पक्की हो गई तो दोनों तरफ से पंचायती दो–दो सौ रूपये की पंचायती खाई और अगले महिने 08/09/2017 को शादी करना तय हो गई थी, यह सही बात है कि आदिवासी बारेला समाज में लड़की की शादी करने की कोई उम्र निर्धारित नहीं है। इसीलिये सबिना के माता–पिता, काका, बाबा, भाई, भतीजों ने एवं भूरापानी के ओम के माता–पिता एवं पंच के साथ भूलगाँव के सरपंच श्री तुलसीराम ने लड़की की उम्र देखे बिना ही नाबालिग सबिना की शादी तय कर दी थी, तो क्या तुलसीराम, रामेश्वर एवं उनके पंच नाबालिग लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना कर देते है तो वे अपराधी नहीं बनते है। क्या ? पहले नाबालिग लड़की सबिना के साथ खोटा काम करवाने का अपराध तो इन्होने किया है, तो इनके ऊपर भी नाबालिग लड़की को जोर जबरजस्ती कर शादी करवाना एवं शादी करके खोटा काम करवाने के लिये जबरजस्ती करवाने की धाराओं में इनके ऊपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 363, 366, 506, 323 के साथ अन्य धाराओं में अपराध कायम किया जाना चाहिए।

आदिवासी बारेला समाज में लड़की की शादी करने की उम्र तय नहीं है, इस बात की मान्यता आदिवासी बारेला समाज देता है, इसलिये सबिना की शादी रामेश्वर और तुलसीराम ने मिलकर दिनांक 29 अगस्त, 2017 को ओम पिता शिवप्रसाद निवासी भूरापानी के साथ करवा

निरन्तर पेज 2

सबिना ने अपनी राजी–मर्जी स्वेच्छा से मेरे साथ शादी करती है तो मेरे ऊपर नाबालिग लड़की के साथ शादी करने का हिन्दु विवाह एक्ट 1955 के तहत् सेन्धवा शहर पुलिस क्यों कार्यवाही कर रही है। क्योंकि मैं हिन्दु नहीं हूँ मै तो आदिवासी हूँ, मैं सेन्धवा शहर पुलिस को बताना चाहता हूँ, कि हिन्दु वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण है जिसमें 1. ब्राह्मण 2.क्षत्रीय, 3. वैश्य 4. शुद्र तो आदिवासी किसी भी हिन्दु की वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। इसलिये माननीय उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के फैसले में भी आदिवासी को हिन्दु नहीं माना गया तो फिर सेन्धवा के पुलिस मेरे ऊपर हिन्दु शादी कोई बिल कानून लगाकर मेरे नाम से रिपोर्ट क्यों लिखी है ? क्या सेन्धवा पुलिस भारतीय कानून को नहीं मानती है ? अगर सेन्धवा पुलिस भारतीय कानून को नहीं मानती है तो मेरे ऊपर कार्यवाही करने वाले सेन्धवा शहर पुलिस के ऊपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 124 (ए) के तहत् मामला दर्ज होना चाहिए।

सबिना के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ या खोटा काम नहीं किया है, मुझे भूलगांव का सरपंच तुलसीराम जबरजस्ती झूठे केस में फँसाना चाहता है। इसलिये मेरे नाम से सेन्धवा शहर थाने में जाकर मेरे एवं मेरे दोस्त दिनेश के नाम से झूठी रिपोर्ट लिखवाई है। जबकि तुलसीराम सरपंच ने सबिना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई थी, इसलिये सबिना घर वालों के बिना बोले कहीं चली गई होगी।

आदिवासी बारेला समाज में रूढ़ीगत परम्परा है कि, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेमविवाह यानि की हुगलाई शादी करते है तब लड़के के परिवार मोहल्ले एवं गाँव के मुखिया लोग लड़की यानि नई बहु की राजी पूछते है, जिसमें लड़की (नई बहु) राजीमर्जी से आना बताती है तो उसकी शादी तय मानी जाती है और समाज में प्रचलित देजा–लाग पंचायती कर शादी हो जाती है। लेकिन पंचों के सामने राजी पूछते समय लड़की (नई बहु) यह कह देती है कि मेरी राजी यहाँ रहने एवं इस लड़के से शादी नहीं करना है। उस परिस्थिति में गाँव के पंच उस लड़की (नई बहु) की शादी साड़ी के कोने पर समाज द्वारा निर्धारित राशि 500/– रूपये गुनाह के रूप में बाँधकर उसे उसके गाँव के पंचों को बुलाकर लड़की के पिता के सुपूर्द कर देते है। उसे आदिवासी बारेला समाज छेवड़ा कहते है। इस प्रथा को आदिवासी बारेला समाज की रूढ़ीगत परम्परा और मान्यताओं के विरूध्द जाकर सेन्धवा शहर थाने में मेरे एवं मेरे दोस्त के नाम से रिपोर्ट डालकर समाज की मान्यताओं के विरूध्द कार्य कर रहा है।

बड़वानी जिला पूर्ण रूप से रिर्जव इलाका है। यह आंशिक एवं पूर्ण आंशिक इलाका है। आंशिक रिजर्व (आदिवासी) भारत के संविधान निर्माताओं ने रिजर्व इलाके की प्रशासनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में संवेदनशील होकर विशेष प्रावधान सुरक्षित किये है। धारा–5(1) के तहत् राज्यपाल को विधयिका की शक्ति प्रदान करती है।

निरन्तर पेज 3

संविधान के किसी भी प्रावधान से यह शक्ति मुक्त है। राज्यपाल आदेशित कर सकते है कि कोई भी संसद या राज्य विधान सभा द्वारा पारित कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा।

रिजर्व इलाके में राज्यों की कार्यपालन शक्ति को पांचवी अनुसूची के प्रावधानों की धारा– 2 में सीमित किया गया है। अर्थात रिजर्व इलाके की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल को सर्वोच्च शक्ति एवं अधिकार दिये गये है तो आप कैसे रिजर्व इलाके में घुसकर मेरे एवं मेरे दोस्त दिनेश के ऊपर कार्रवाही कर सकते है।

सन् 1995 में गवर्नामेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत में लागू हुआ था, जिसकी धारा–91 के तहत् आदिवासी इलाके को सम्पूर्ण वर्जित एवं आंशिक वर्जित इलाके के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसमें आदिवासी इलाके में भारत को अन्य इलाके की तरह आम कानून लागू होने से दो बड़े खतरे होने की बात रेखांकित की गई थी। इसलिये इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि, इन दोनों खतरों से आदिवासियों की सुरक्षा प्रदान करते हुये उनकी रूढ़ी प्रथा व परम्परा को बचाने के लिये प्रयत्न करना है। इसलिये गवर्नामेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा– 92 के जरीये इस इलाके की प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश के गवर्नर को दी गई है तो सेन्धवा शहर की पुलिस हमारी परम्परा रूढ़ी प्रथा के विरूध्द हमारे नाम से रिपोर्ट कैसे लिखी है। क्योंकि गवर्नामेन्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा– 92 की उपधारा–(1) के तहत् संघीय व प्रादेशिक विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून सम्पूर्ण एवं आंशिक वर्जीत इलाके के ऊपर लागू नहीं होता है तो मेरे एवं दिनेश के ऊपर आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. की धारा कैसे लग सकती है।

अतः श्रीमान् से विनम्र निवेदन है कि मुझे मेरी रूढ़ी प्रथा और परम्परा से जीने दिया जाये। रूढ़ी प्रथा के विरूध्द काम करने वाले सरपंच तुलसीराम के ऊपर कड़ी कार्यवाही करते हुये भारतीय संविधान को नहीं मानते हुये मेरे ऊपर कार्यवाही करने वाले सेन्धवा शहर के पुलिस के ऊपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–124 (ए) एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाय।

प्रार्थी

(अनिल पिता मुन्ना)
नि. दोंदवाड़ा, तह.निवाली
जिला बड़वानी (म.प्र.)

निरन्तर पेज 4

उक्त आवेदन पत्र की जाँच मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजपुर से कराई गई । अनुविभागीय अधिकारी ने थाना प्रभारी से जाँच करवाई । और थाना प्रभारी ने संबंधित बीट प्रभारी, जिसने रिपोर्ट लिखी थी, उससे ही पूछ कर जाँच रिपोर्ट बना दी थी । जबकि जाँच करने का सही तरीका यह है कि पक्ष एवं विपक्ष दोनों से पूछ–ताछ करना, साथ ही दोनों पक्षों के गवाहों का बयान लेकर, अपना मत जोड़कर रिपोर्ट बनाना चाहिये था । लेकिन पुलिस ने सही तरीके से जाँच नहीं की । और उसी ग़लत तरीके की जाँच को एक–दूसरे को देते हुए मानव अधिकार आयोग को भी झूठी जाँच रिपोर्ट भेज दी थी ।

अनलुविभागीय अधिकारी पुलिस की जाँच को आधार मानकर एस पी बडवानी ने रजिस्ट्रार, मानवाधिकार आयोग, पर्यावास भवन खंड, प्रथम तल, अरेरा हिल्स भोपाल को भेजा । वह पत्र इस प्रकार है –

क्र./पु.अ./बड़/शिका/55–एफ/परिजशि/17 बड़वानी, दिनांक 17/11/17

प्रति,

रजिस्ट्रार लॉ,
मानव अधिकार आयोग,
पर्यावास भवन, खण्ड–1, प्रथम तल,
अरेरा हिल्स, भोपाल

विषय :– आवेदक अनिल पिता मुन्ना बारेला निवासी दोंदवाड़ा जिला बड़वानी द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र की जांच के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक /20887/7100/बड़वानी/17 भोपाल दिनांक 13.10.2017 के पालन में।

— 000 —

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवेदक अनिल पिता मुन्ना बारेला निवासी दोंदवाड़ा जिला बड़वानी द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र जांच हेतु प्राप्त हुआ। जिसकी जांच श्री पी.एस. बघेल अनुविभागीय अधिकारी "पुलिस" अनुभाग राजपुर से कराई गई। जिन्होने शिकायत आवेदन पत्र में उल्लेखित एवं आरोपित तथ्यो की जांच उपरांत लेख किया है कि थाना प्रभारी सेंधवा शहर द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि अनिल पिता मुन्ना बारेला एवं उसका साथी दिनेश बारेला निवासी दोंदवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 04.09.17 को अपहृता सबीना पिता रामेश्वर आर्य उम्र 17 साल निवासी भूलगांव का अपहरण करने संबंधी रिपोर्ट थाना सेंधवा शहर में करते अपराध क्र. 259/17 धारा 363,34 भादवि का पंजीबद्ध कर प्रकरण में आरोपी अनिल व दिनेश व अपहृता सबीना की तलाश की जा रही है। उक्त आरोपीगण घटना दिनांक से फरार है। आवेदक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होने से बचाव हेतु शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया गया।

अनुविभागीय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग राजपुर की जांच से सहमत होते हुए प्रतिवेदन सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(विजय खत्री)
पुलिस अधीक्षक
जिला बड़वानी

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) राजपुर जिला बड़वानी (म.प्र.)

PRABHUKUMRAWAT @ GMAIL.COM

क्रमांक / 189–ए / वजशि / एसडीओपी / राजपुर / 2017 दिनांक 09 / 11 / 20

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, महोदय
जिला– बड़वानी

विषय – आवेदिका अनिल पिता मुन्ना बारेला निवासी दोंदवाडा की शिकायत आवेदन पत्र संबंध मे।

सन्दर्भ – श्रीमान पु.अ.महो. के पत्र क्रमांक पुअ / 55–सी / वजशि / दिनांक 4.11.17

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उक्त आवेदक का शिकायत आवेदन पत्र सन्दर्भ पत्रो के माध्यम से जांच हेतु प्राप्त हुआ । जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि इसी अ की शिकायत श्रीमान पु.अ.महो.बड़वानी के पत्र कं. 31 / जशि / दिनांक 27.9.17 55 / वजशि / दिनांक 9.10.17 एवं 55–ए / वजशि / दिनांक 11.10 55–बी / वजशि / दिनांक 24.10.17 की प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की जाकर इस कार्यालय पत्र क्रमांक– अअपु / राज. / 167.170.172–ए / वजशि / दिनांक 24.10.17 के माध्यम से श्री की ओर जांच प्रतिवेदन भेजा गया है सुलग सन्दर्भ हेतु प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न है।

संलग्न – मुल आवेदन –01
जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति–1

पी.एस.बघेल
अनु अधिकारी (पुलिस)
राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)
(मो.नं. 9179788575)

6-11-17

बडवानी एस पी की जाँच रिपोर्ट के बाद मानवाधिकार आयोग ने शिकायत आवेदनकर्त्ता के आवेदन पर कोई कार्यवाही न करते हुए आवेदन को निरस्त कर दिया ।

मध्यप्रदेश मानव अधिकारी आयोग

पर्यावास भवन खण्ड–1 प्रथम तल अरेरा हिल भोपाल

34459

क्रमांक /7160/बडवानी/17 भोपाल,दिनांक 29/12/17

प्रति,

श्री अनिल पिता मुन्ना बारेला,
निवासी दोंदवाडा,तह निवाली,
जिला बडवानी

विषयः–आपके आवेदन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक प्रकरण के संबंध में लेख है कि आपके प्रकरण मे जांच करायी गई.जांच प्रतिवेदन की प्रति सलग्न कर लेख है आयोग में आपका प्रकरण नस्तीबद्व किया जाता हैं। आप सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सुधीर सिंह चौहान)
उप सचिव
मानव अधिकार आयोग
भोपाल

शिकायत आवेदन निरस्त होने के बाद संगठन ने उस गाँव की ग्राम सभा का आयोजन करवाया और ग्राम सभा ने निम्न प्रस्ताव पास कर पुलिस को निर्दोष लड़कों पर कार्यवाही करने से रोकने का आदेश दिया । प्रस्ताव इस प्रकार है –

क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 40 / 1996 की धारा 4 (ख), (घ) के तहत् ।

गांव गणराज्य

पटेल, पुरजा, गांव डाहला,वारती, कोटवाल, ग्राम दोडवाड़ा, तहसील निवाली, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश

क्रमांक संख्या दिनांक

विषय:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के उपबन्धोंव अनुसूचित जनजातियों के हितो के लिये अन्य संवैधानिक उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने बावद ।-

महोदय,

भारत के मूल निवासी आदिवासी अनुसूचित जनजाति धर्मपूर्वी लोग है। जब दुनिया में किसी भी धर्म का उदय नहीं हुआ था तबसे हम अपनी प्राकृतिक रुढी व प्रथा से शासित व संस्कारित होते आये है। अंग्रेजों द्वारा की गई जनगणना सन् 1911, 1921, 1931 व 1941 में हमारे धर्म के कालम में प्रकृति पूजक लिखा गया है। हमारे देव स्थल, पूजा, पध्दति, हमारा संस्कार व संस्कृति किसी भी धर्म से अलग है। इसीलिये हमन तो हिन्दु है न मुस्लिम, न सिख, ईसाई न जैन न बौध है। हम किसी भी धर्म के धर्म ग्रन्थों व उनके पुजारियों, पादरिया, मौलवियों, गुरुओं, मुनियों भिक्षुओं द्वारा शासित व संस्कारित नहीं होते है। बल्कि हम अपने समाज में प्रचलित प्राकृतिक सत्य मार्ग रूढी व प्रथा से शासित व संस्कारित होते है। हमारे मुखिया, पटेल, पुजारा, वारती गॉव डाहला, बारगाया, कोटवाल होते है। हमारे संस्कारों मे किसी भी धर्मो के धार्मिक विधानों व अनुष्ठानों का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे रूढी व प्रथा ही हमारा संविधान है। जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के माध्यम से जोड़ा गया है और हमारी रूढी व प्रथा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 (3)(क) में हमे विधि का बल प्राप्त है।

इसी लिये आज दिनाक को हम ग्राम दोंदवाडा के रूढीगत ग्राम सभा के पंचों की बैठक हुई, बैठक में गांव के श्री मुन्ना के पुत्र ने ग्राम भुलगांव के श्री रामेश्वर की पुत्री की राजीमर्जी से आदिवासी रूढ़ी अनुसार हुगलाई शादी कर ली है। लेकिन ग्राम भुलगाव के श्री रामेश्वर ने ग्रामीण थाना सेन्धवा में लड़की के साथ बलात्कार होने की रिपोर्ट लिखवाई है। इसलिये हम रूढीगत ग्राम सभा के सदस्य यह निर्णय लिये है कि आदिवासी बारेला समाज मे शादी करने के लिये लडका या लडकी कोई उम्र तय नहीं है। इसलिये लडकी के पिता ने लड़की की शादी लडकी की अनुमति के बगैर दुसरे गाव भूरापानी मे कर दिये थे, इसलिये लडकी ने अपनी पसन्द के लड़के के साथ राजी–मर्जी से शादी आदिवासी रूढ़ी प्रथा से कर ली है तो लड़की के पिता ने ~~ग्रामीण~~ थाना सेन्धवा जाकर हिन्दु मैरेज एक्ट के तहत लडकी की उम्र शादी करने लायक नही हुई है। नाबालिग है। लड़की अपनी इच्छा से शादी करे तो नाबालिग और बाप शादी करे तो बालिग है। इस प्रकार से चर्चा करने पर यह निर्णय लिये है कि आदिवासी हिन्दु नहीं है तो आदिवासी शादी

....(2)....

मुन्ना 2. दिनेश पिता कांतिलाल के ऊपर बलात्कार का केस लगाया जा रहा है।

जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधानों के तहत् पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (5) (6) के तहत् अनुसूचित जनजातियों के हितों के विरूध्द बिना अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति या गैर आदिवासियों ने कुछ भी करने का अधिकार नहीं है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) कंडिका (5) के तहत लोकसभा या विधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू नही हो सकता है। इसलिये हमारे गांव के 1. श्री अनिल पिता मुन्ना 2. दिनेश पिता कांतिलाल के ऊपर आपने रिपोर्ट लिखी है, वह गैर कानूनी है। इसलिये हम ग्राम दोंदवाडा के आदिवासी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 (3) (क) में प्राप्त विधि का प्रयोग करते हुवे अपनी पारम्परिक मुखिया पटेल पुजारा गांव डाहला बारगाया वारती, कोटवाल अर्थात आदिवासी रूढ़ीगत ग्राम सभा के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार व समस्त प्रशासनिक कार्यालय प्रमुखों को आदेशित करते है कि पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम 40 / 1996 की धारा–4 (ख), (घ) के तहत् प्रत्येक ग्रामसभा, जनसाधारण परम्पराओं और रूढ़ियो के रुढ़ीक ढंग का संरक्षण और परीक्षण करने में हमारी ग्राम सभा सक्षम है और धारा– 6 (1)(1) 27 में, जनघन्य अपराध जैसे हत्या और डकैती के मामलों को छोड़कर सभी फौजदारी मामलों तथा ऋण सम्बन्धी और अन्य देयताओं सहित सभी दीवानी मामलों पर विचार करने तथा न्यायिक निर्णय लेने का अधिकार हमारी ग्राम सभा को है और धारा–6 (10)(4) में ग्रामसभा आपसी विवाद व झगड़े की स्थिति में ग्राम सभा की बैठक में इन विषयों पर फैसला लेने का अधिकार हमारी ग्राम सभा को है।

अतः हम ग्राम दोंदवाड़ा के रूढ़ीगत ग्राम सभा के सदस्य आदिवासी मूल मालिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 (3)(क) में प्राप्त विधि के बल का प्रयोग करते हुवे ग्रामीण थाना सेन्धवा के आदेशित करते है कि अनुसूचित जनजातियों को धर्म पर्व ही रहने देकर हमारे गांव के श्री अनिल पिता मुन्ना व दिनेश पिता कांतिलाल के खिलाफ कार्यवाही करना रोक दे।

संलग्नः–
विभिन्न न्यायालयों के आदिवासी हिन्दु नहीं होने के आदेश की सूची

रूढ़ीगत पंच ग्राम सभा के हस्ताक्षर

1. पटेल मोतीराम मोतीराम
2. पुजारा गंगाराम
3. वारती रामलाल
4. गांव डाहला जगन
5. बारगाया
6. कोटवाल भंगी भंगी

ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद पुलिस को मजबूर होना पड़ा और दोनों लड़कों पर अपहरण, बलात्कार जैसी धाराओं का प्रकरण ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद पुलिस कानूनी रूप से परेशान हो गई थी । जिन दो लड़को पर ग्राम सभा से पूछे बिना जाँच किये अपहरण, बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था, उस प्रकरण का खात्मा करने के लिये एस पी को मजबूर होना पड़ा । एस पी ने प्रकरण का खात्मा कर दोनों लड़कों को बरी कर दिया ।

आदिवासियों पर किसी भी धारा में पुलिस एक बार भी प्रकरण दर्ज़ कर लेती है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट या जेल जाना अनिवार्य होता है । लेकिन इस प्रकरण में दो लड़कों पर गंभीर धाराओं में पुलिस ने अपराध तो दर्ज़ कर लिया, लेकिन संगठन के आंदोलन एवं रूढ़िगत ग्राम सभा की लड़ाई की यह ऐतिहासिक जीत है । मध्यप्रदेश में पहली बार किसी आदिवासी के गंभीर अपराध का ख़ात्मा पुलिस ने किया है ।

साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने इलाके में हमारे जैसा काम करेंगे, तो आपकी भी जीत होगी । ●●

पेसा कानून के सहारे रोका अभयारण्य

- केमत गवले (मध्यप्रदेश)

मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले का कठ्ठीवाड़ा क्षेत्र 'झाबुआ' के कश्मीर के रूप में माना जाता है । यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। घने वन, जिसमें सागवान, महुआ, कटहल के वृक्ष यहाँ की ज़मीन को ढके हैं । यहाँ का नूरजहाँ आम मशहूर है । यहाँ के गाँवों में भील, ध ाणक, तड़वी, बारिया आदिवासी पीढ़ियों से बसे हैं ।

भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून, मध्यप्रदेश वन विभाग व ज़िला प्रशासन ने मिलकर ग़ैरसंवैधानिक तरीके से कट्ठीवाड़ा क्षेत्र के छः गाँवों में वन्य प्राणी अभयारण्य बनाकर आदिवासियों को अपने जंगल, जमीन से बेदखल करने की पूरी योजना बना ली थी । लेकिन इस क्षेत्र के आदिवासियों ने खेडूत मज़दूर चेतना संगठन के माध्यम से, पेसा कानून के तहत मिले प्रावधानों का उपयोग कर अपने गाँवों को बचा लिया ।

क्या थी यह योजना ?

असल में गुजरात में नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर परियोजना में पर्यावरण मंत्रालय की शर्तों के मुताबिक नर्मदा घाटी विकास प्राधि ाकरण को नर्मदा घाटी में डूबे जंगल की भरपाई करने के लिये वनीकरण

करना था । इसी काम के लिये कठीवाड़ा वन्य प्राणी अभयारण्य बनना था । उसके लिये कठीवाड़ तहसील में 92.331 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र निर्धारित किया गया था । इस परियोजना के भीतरी क्षेत्र में कुल आठ गाँव आने वाले थे, जिसमें करीबन 1150 लोग निवास करते हैं इसी तरह प्रस्तावित अभयारण्य से दो किलोमीटर की परिधि में 41 गाँव बसे हैं, जिनकी आबादी 21000 से अधिक है व 5 किलोमीटर तक की परिधि में कुल 15 गाँव बसे हैं । ये सब गाँव इस अभयारण्य से प्रभावित होने वाले थे ।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा सन् 2009 में अलीराजपुर जिले में कठीवाड़ा एवं मथवाड़ वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना के लिये सामाजिक, आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करके एक प्रतिवेदन तैयार किया था । परंतु इस प्रतिवेदन में जीव–जंतुओं की संख्या, लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव आदि बातें बिल्कुल मनगढ़ंत थीं । अध्ययन दल के सदस्य या अन्य कोई भी शासकीय कर्मचारी प्रभावित गाँवों में गए ही नहीं । न ही इस योजना के बारे में लोगों से कोई चर्चा या साक्षात्कार ही की गई, जबकि प्रतिवेदन में यह दावा किया गया है कि 24 गाँवों के बुजुर्गों एवं सरपंचों से चर्चा करके सामाजिक, आर्थिक प्रभावों को आँका गया । आदिवासियों के बीच जनसुनवाई द्वारा संभावित प्रभावों की चर्चा न करना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नियमों का सरासर उल्लंघन था। इससे रिपोर्ट की असत्यता भी उजागर होती है तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन भी होता है ।

पेसा कानून क्या कहता है ?

अलीराजपुर आदिवासी बहुल जिला व अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम एपं ग्राम स्वराज अधिनियम लागू है । इसके प्रावधानों के अनुसार ग्राम के क्षेत्र के भीतर ग्राम सभा के सदस्यों की अनुमति के बिना किसी भी ग्राम के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध की कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती है ।

जनजातीय समुदाय के लिये जंगल और ज़मीन उनके जीवन के प्रमुख

आधार हैं । ऐसी स्थिति में उनको ज़मीन से बेदखल करना मात्र संपत्ति की हानि का मामला नहीं है । इसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक है तथा उनके लिये ज़मीन खोने का मतलब अपनी पहचान खोना है ।

इसी कानून का प्रयोग करते हुए, प्रस्तावित अभयारण्य के भीतर बसे गाँव के लोगों ने अपने अपने गाँवों ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किये कि हमें अभयारण्य की योजना मंजूर नहीं है । कई बार इस बात को लेकर प्रदर्शन किये गए व छोटे–बड़े बहुत से अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। अंततः सरकार ने लोगों की माँग मान ली और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कहीं पर ग्राम सभा द्वारा एक अभयारण्य निरस्त हो गया । ●●

प्रत्येक ग्राम सभा जन-साधारण की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामूदायिक संपदाओं और विवाद निपटारे में रूढ़ि का संरक्षण और परीक्षण करने में सक्षम होगी ।

– 'पेसा' कानून

अपनी फलिया की अलग ग्राम सभा बनाई

- शंकर तड़वला

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23.12.1998 को प्रकाशित मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा नियम में धारा 129 (ख) के अन्तर्गत अलग और छोटा गाँव भी बनाने का अधिकार आदिवासी ग्रामजनों को दिया गया है। आप चाहें तो अनुसूचित क्षेत्र का ऐसा ग्राम जिसमें मोहल्ला, फलियों का समूह, ऐसा होगा जिसमें समुदाय के लोग सम्मिलित होंगे और आदिवासी परम्पराओं और रूढ़ि प्रथाओं का निर्वहन अथवा पालन कर अपने कार्यकलापों का प्रबंध होना चाहिये। वह ग्राम अपने गाँव में बाबादेव, दिवालिया देव, गोहापूजन, मृतक पशुओं को फेंकने–गाड़ने का स्थान, बच्चों का श्मशान घाट, वयस्कों का श्मशान घाट, सिमुड़ी देव, गाय–बैल का गोन्दरा गोहा आदि अन्य जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की भी व्यवस्था उस जगह पर करनी पड़ेगी। आप अपने गाँव का निर्माण कर सकते हो। देखें धारा 129 (ख) (1) धारा 129 (ख) (2) के अन्तर्गत ऐसा ग्राम जिसमें आवासों, मोहल्ले, फलिये, टोला का समूह अथवा छोटा गाँव या छोटे गाँवों का समूह होगा और जो आदिवासी परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो, ऐसी जगह पर आदिवासी समाज–जन अलग ग्रामसभा बना सकेंगे।

इस व्यवस्था का उपयोग आदिवासी समाज अंग्रेज़ी शासनकाल, मुग़लकाल, राजा–रजवाड़ों के समय से करता आ रहा था। अपनी जो स्वशासन वाली रूढ़िप्रथा का प्रचलन था, वह किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं था। आदिवासी समाज में जो सामाजिक बुराइयाँ थी, जैसे चुड़ैल प्रथा, डाकन प्रथा, अपहरण कर शादी–विवाह, कबिलों का आपसी टकराव, सम्पत्ति बँटवारे के विवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को भी आदिवासी समुदाय आपस में बैठकर सुलझा लेने व आगे सही सलामत जीने व समाज को आगे ले जाने का मार्ग बना लेते थे। आदिवासी की अलग पहचान गहने, वेशभूषा, भाषा से तो है। साथ ही सबसे बड़ी पहचान सामूहिकता, स्वतंत्रता, स्वावलम्बन, प्रकृति पूजन, निर्णय क्षमता, आर्थिक

सामर्थ्य से परिपूर्ण भी था, जिसका अभी विकासवादी युग में पतन सा हो गया है। स्वायत्तता से सम्पन्न समाज आज दिग्भ्रमित जीवन जी रहा है। उसके दुष्परिणाम आज के लक्षण, भूखमरी, कुपोषण, सिकलसेल एनिमिया की बीमारी सिलिकोसिस ग्रस्त, पलायन, अशिक्षा, अंधविश्वास, विस्थापन, संसाधनों का ख़ात्मा परावलम्बन गुलामी, मौलिक अधिकारों से विस्थापित, शोषण, अन्याय, अत्याचार का शिकार, भेदभाव, छूआछूत से घिरा हुआ समाज जनजागृति का अभाव आदि।

फिर से आदिवासी समाज की व्यवस्था कायम करने के लिये पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम 1996 को स्थापित करने से आदिवासी समाज अपनी खोई हुई व्यवस्था वापस प्रस्थापित व स्थापित कर सकने में कुछ हद तक सफल हो सकेगा। इस कानून को धरातल तक लाने के लिये मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में सफल प्रयोग हुए हैं। सन् 2012 में अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा विकासखण्ड में वन्य–प्राणी संरक्षण के लिये अभयारण्य घोषित हुआ। पाँच ग्राम पंचायतें विस्थापित होनी थी। एक 18 वर्ष के वयस्क व्यक्ति को 10 लाख रुपये देने की घोषणा वनमंत्री ने कट्ठीवाड़ा आकर की। खेडूत मजदूर चेतना संगठन के विरोध के बाद पाँच ग्राम पंचायत में अभयारण्य की स्वीकृति के लिये कलेक्टर ने ग्रामसभा आयोजित की। पाँच ग्राम पंचायतों में से चार ग्राम पंचायतों ने अभयारण्य नहीं बनाने का प्रस्ताव पारित किया। मात्र एक ग्राम पंचायत अभयारण्य स्वीकृति का प्रस्ताव ग्रामसभा में पारित किया। अन्ततः अभयारण्य को शासन ने निरस्त कर दिया।

सन् 2017 में ग्राम बड़दला में गाँव की बालु को बाहर नहीं ले जाने देने की बात को लेकर गाँव में ग्रामसभा सम्पन्न करवाई । इस ग्रामसभा में लोगों ने बालु का ठेका निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया। परिणामस्वरूप ग्राम बड़दला में बालु को बाहर ले जाने पर रोक लगी।

दिनांक 28.09.2012 को अलग फलिये की ग्रामसभा की माँग को लेकर विहित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर को ग्राम पंचायत झरकली के ग्राम कुम्भी का पटेल फलिये, ग्राम अम्बा के सिंधी फलिया, ग्राम कुण्डवाट, पटेल फलिया के निवासीयों ने माँग पत्र दिया। ग्राम

वाकनेर के मुरबिया फलिया, ग्राम चिलगदा, ग्राम बड़ी गेन्दरा आदि गाँव के लोगों ने भी आदिवासी रूढ़ि प्रथा वाली अलग ग्रामसभा गठन की माँग को लेकर आवेदन दिया। उक्त गाँव के लोगों ने अपनी ग्रामसभा का नाम रखा, सील बनाई, रजिस्टर अलग बनाये। गाँव में ग्रामसभा बुलाकर प्रस्ताव पारित किये। ग्राम के बुजुर्ग व्यक्ति से अध्यक्षता करवाई। फलिया सभा में निर्णय लिये गये।

ग्राम के शिक्षित लोग यदि हैं, तो शासन स्वीकृति दे या नहीं दे, फलिया के लोग अपनी फलिया सभा का कार्य संचालन कर सकते है। शासन आज नहीं तो कल, परन्तु फलिया सभा को मंजूरी ज़रूर देगा।

फलिया सभा की स्वीकृति के लिये तहसील के अनुविभागीय अधिकारी और प्रदेश के राज्यपाल सक्षम अधिकारी है।

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23.12.1998 को प्रकाशित मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा नियम में धारा 129 (ख) के अन्तर्गत अलग और छोटा गाँव भी बनाने का अधिकार आदिवासी ग्रामजनों को दिया गया है। आप चाहें तो अनुसूचित क्षेत्र का ऐसा ग्राम जिसमें मोहल्ला, फलियों का समूह, ऐसा होगा जिसमें समुदाय के लोग सम्मिलित होंगे और आदिवासी परम्पराओं और रूढ़ि–प्रथाओं का निर्वहन अथवा पालन कर अपने कार्यकलापों का प्रबंध होना चाहिये। वह ग्राम अपने गाँव में बाबादेव, दिवालिया देव, गोहापूजन, मृतक पशुओं को फेंकने, गाड़ने का स्थान, बच्चों का श्मशान घाट, वयस्कों का श्मशान घाट, सिमुड़ी देव, गाय, बैल का गोन्दरा गोहा आदि अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों की भी व्यवस्था हो। उस जगह पर अधिक लोगों का अधिक जनसंख्या वाले गाँव में आप अपने गाँव का निर्माण कर सकते हो। देखें धारा 129 (ख)।

(1) धारा 129 (ख) (2) के अन्तर्गत ऐसा ग्राम जिसमें आवासों, मोहल्ले, फलिये, टोला का समूह अथवा छोटा गाँव या छोटे गाँवों के समूह होंगे और जो आदिवासी परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो, ऐसी जगह पर आदिवासी समाज–जन अलग ग्रामसभा बना सकेंगे। यह व्यवस्था आदिवासी समाज की पहले से

परम्परागत चली आ रही व्यवस्था थी, भारत सरकार ने कानून व नियम बनाकर आगे बरकरार रखा है।

इस व्यवस्था का उपयोग आदिवासी समाज अंग्रेज़ी शासनकाल, मुग़लकाल, राजा रजवाड़ों, के समय से करता आ रहा था। अपनी जो स्वशासन वाली रूढ़िप्रथा का प्रचलन था, वह किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं था। आदिवासी समाज में जो सामाजिक बुराइयाँ थीं, जैसे चुड़ैल प्रथा, डाकन प्रथा, अपहरण कर शादी–विवाह, कबिलों का आपसी टकराव, सम्पत्ति बँटवारे के विवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को भी आदिवासी समुदाय आपस में बैठकर सुलझा लेने व आगे सही सलामत जीने व समाज को आगे ले जाने का मार्ग बना लेते थे। आदिवासी की अलग पहचान गहने, वेशभूषा, भाषा से है। साथ ही सबसे बड़ी पहचान सामूहिकता, स्वतंत्रता, स्वावलम्बी जीवन, प्रकृति–पूजन, निर्णय–क्षमता में कुशल, आर्थिक सामर्थ्य से परिपूर्ण भी था। जिसका अभी विकासवादी युग में पतन सा हो गया है। स्वायत्तता से सम्पन्न समाज आज दिग्भ्रमित जीवन जी रहा है।

उसके दुष्परिणाम आज के लक्षण, भूखमरी, कुपोषण, सिकलसेल एनिमिया व सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त, पलायन, अशिक्षा, अंधविश्वास, विस्थापन, संसाधनों का ख़ात्मा, परावलम्बन, गुलामी, मौलिक अधिकारों से विस्थापित, शोषण, अन्याय, अत्याचार का शिकार, भेदभाव, छुआछूत से घिरा हुआ समाज जनजागृति का अभाव आदि।

फिर से आदिवासी समाज की व्यवस्था क़ायम करने के लिये पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम 1996 को स्थापित करने से आदिवासी समाज अपनी खोई हुई व्यवस्था वापस प्रस्थापित व स्थापित कर सकने में कुछ हद तक सफल हो सकेगा। आदिवासी समाज के लोगों के लिये पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम 1996 को लाने के पीछे मंशा बहुत बड़ी थी। भारत की सभ्यता दो प्रकार की है, एक शहरी सभ्यता एवं एक ग्रामीण सभ्यता। शहरी सभ्यता में आपसी मेलजोल, सहयोग, सद्भाव जैसे सहिष्णुता के गुण लगातार कम होते जा रहे है। आपसी दुश्मनी, घृणा, नफ़रत, टकराव की स्थिति का निर्माण तेज़ गति से हो रहा है। ऐसी

स्थिति में यदि आदिवासी समाज ग्रामसभा और फलिया सभा बनाकर शासन व समाज को बेहतर तरीके से चलाने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्र में भी इस मॉडल को वार्डसभा के रूप मे परिभाषित कर, लागू कर देंगे। इससे देश में शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले मज़बूत लोकतंत्र का निर्माण होगा।

एक ग्राम की ग्रामसभा या हर फलिये की फलियासभा बनाने से गाँव के हर वयस्क स्त्री–पुरुष इस ग्रामसभा, फलियासभा में हिस्सेदार हो सकता है। एक ग्राम पंचायत की ग्रामसभा में अधिक लोग बैठकों में जा नहीं पाते है क्योंकि पंचायत की ग्रामसभा में 4 से 5 गाँव भी शामिल रहते हैं। दूरदराज़ पर बसे हुए रहते हैं। यदि एक गाँव की एक ग्राम–पंचायत भी हो, तो भी 12 से 13 फलिये का एक गाँव हुआ करता है। इतने सारे फलिये के लोग एक ही जगह पर स्त्री–पुरुष एकछत्र होकर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में फलियासभा की अवधारणा का विकास हुआ। आज फलियासभा का कानून बनकर ग्राम–समाज के समक्ष आया, अब मूर्त्त रूप देने की ज़िम्मेदारी ग्राम समुदाय की है। एक गाँव की ग्रामसभा, एक फलिये की फलियासभा में हर परिवार की महिलाएँ व पुरुष बैठकों व कार्यक्रमों में रुचि के साथ, स्वेच्छा से भागीदार हो सकता है। शासकीय विकास योजनाएँ लागू करने या अपने जल, जंगल, ज़मीन, मिट्टी व पानी को सँवारने, सदुपयोग करने में महती भूमिका अदा कर सकते हैं। ●●

अपनी फलिया की अलग ग्राम सभा बनाने का आवेदन

24

म.प्र. अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलिन की प्रक्रिया कार्य संचालन) नियम–1998

आवेदन–पत्र

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
ब्लाक अलिराजपुर तहसील अलिराजपुर
जिला अलिराजपुर राज्य मध्यप्रदेश

विषय:- ग्राम पंचायत हरसवाट के ग्राम लखनकोट हैंडुपटेल फलिया में अलग ग्राम सभा का गठन करने हेतु।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि ग्राम पंचायत हरसवाट के ग्राम लखनकोट के फलिया में हम सभी निवासी पेसा कानून के अंतर्गत अलग ग्रामसभा का गठन करना चाहते है इसके लिये आज दिनांक 13-3-2013 को हम सभी ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः कृपया हमारे फलिया में अलग ग्रामसभा के गठन की अधिसूचना जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :-
1. पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि।
2. फलिया में निवास करने वाले ग्रामीणों की सूची।
3. ....।

प्रतिलिपि:-
1. सरपंच ग्राम पंचायत ———— सूचनार्थ।
2. ......
3. ....

स्थान :- ————

दिनांक :- 13-3-2013

अध्यक्ष
ग्राम सभा लखनकोट
ग्राम पंचायत हरसवाट

सचिव
ग्राम सभा लखनकोट
ग्राम पंचायत हरसवाट

फलियों के निवासियों की सूची

यह है, कि अलग ग्रामसभा का गठन वाले फलिया के निवासियों की सूची जो इस फलिये की ग्रामसभा में शामिल हो रहे है, जो इस प्रकार है ।

क्र	परिवार के मुखिया का नाम	परिवार के व्यस्कों की सूची			अव्यस्कों की सूची			कुल सदस्यों की संख्या	परिवार /घर संख्या	कुल योग	हस्ताक्षर /अंगूठा
		महिला	पुरूष	कुल	बालिका	बालक	कुल				
1	माधु / धनसिंह	3	2	5	Nil	2	2	7			
2	सुमारीया / दलु	2	1	3	1	2	3	6			
3	प्रताप / दलु	1	1	2	1	1	2	4			
4	रमेश / दितला	3	1	4	NiL	NiL	0	4			[illegible]
5	गुजला / ईडलासिंह	1	1	2	2	1	3	5			
6	ईडलासिंह / हमीर	2	2	4	NiL	NiL	0	4			
7	मुकेश / ईडलासिंह	1	1	2	1	2	3	5			[illegible]
8	दयाबाई / गलु	1	NiL	1	2	1	3	4			
9	भरला / जुरसिंह	1	1	2	2	2	4	6			

कृपया अगला पेज देखें।

[illegible]
अध्यक्ष
ग्राम सभा [illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]

[illegible]
सचिव
ग्राम सभा [illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]

पंचायत - उपबंध [अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार]
अधिनियम 1996 तथा मध्यप्रदेश जिला पंचायत
राज निधि नियम 1998 व मध्यप्रदेश अनुसूचित
क्षेत्र की ग्रामसभा गठन नियम 1998 के तहत
फलिया ग्रामसभा गठन
उप अनुसूचित ( ) नियम 1998 नियम 1-2

प्रारूप - 4
मध्यप्रदेश जिला पंचायत राज निधि नियम-1998
(नियम 14 देखिए) आय एवं व्यय पत्रक

अनुसूचित चालान प्रातिक्रय विवरण (व्यय)

क्रमांक, व दिनांक 13-8-2013	विवरण कर का नाम, एवं मुख्यशीर्ष	चेक क्र विवरण - 2 दिनांक 13-8-2013	
(1)	(2)	(3)	(4)
ग्रामसभा का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कर का, नाम तथा मुख्यशीर्ष	हस्ताक्षर,
(3)	(8)-(10)	(9)	(10)

प्राप्ति::
राधेला चौक
सहयोग

सचिव
ग्राम पंचायत

मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998

1. संक्षिप्त नाम तथा लागू होना (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 1 मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन. सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 है

2. ये नियम मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र कि ग्राम पंचायतों मे लागू होंगी

3. परिभाषाए इन नियमों मे जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न है.

(क) प्रारूप से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप;

(ख) ग्रामसभा से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 129-क के खण्ड (क) मे यथा परिभाषित ग्रामसभा;

(ग) ग्राम पंचायत से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत;

(घ) जनपद पंचायत से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित जनपद पंचायत;

(ङ) जनसंख्या से अभिप्रेत है अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना मे अभिनिश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आकड़े भारत सरकार या इस निमित्त नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रकाशित किये जा चुके है;

(च) विहित प्राधिकारी से अभिप्रेत है संबंधित क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व);

(छ) सरपंच से अभिप्रेत है धारा 17 के अधीन निर्वाचित सरपंच या धारा 38 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन स्थानापन्न किया गया सरपंच;

(ज) अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) मे विनिर्दिष्ट क्षेत्र;

(झ) उपसरपंच से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन निर्वाचित उपसरपंच;

(ञ) ग्राम से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 129 क के खण्ड (ख) के अधीन यथा परिभाषित ग्राम;

1. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-12-98 पेज 1337-1338 (5) पर प्रकाशित.
2. अधिसूचना क्रमांक एफ 1-18-बी-98 बाईस-पी
3. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) पृष्ठ 495-496 (10) पर प्रकाशित नियम 8-6) अनुसूचित ----(-----) नियम 1998 313

3. ग्रामसभा का गठन :- अधिनियम की धारा 129 क के खण्ड (ख) मे विनिर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए साधारणः एक ग्राम सभा होगी परंतु ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन नियम चार मे अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा.

4. एक से अधिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया (1) निम्नलिखित क्षेत्र के लिए पृथक एक ग्रामसभा का गठन किया जा सकेगा :

(क) ग्राम या ग्रामो के समूह के लिए

(ख) खेड़ा या खेड़ो (हेमलेटस) के समूह जिसमे मोहल्ला, मजरा, टोला या पारा आदि, सम्मिलित है तथा

(ग) आवास या आवासों का समूह जिसमे समाविष्ट समुदाय परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो
2. ग्राम पंचायत या ग्रामसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर या इस क्षेत्र के रहवासी मतदाता संकल्प द्वारा पारित कर या लिखित मे आवेदन प्रस्तुत कर विहित अधिकारी से उपनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) मे समाविष्ट क्षेत्र के लिए पृथक की स्थापना की प्रार्थना कर सकेंगे.
3. (क) उपनियम (2) मे विनिर्दिष्ट उल्लेखित प्रस्ताव या आवेदन प्राप्त होने पर विहित अधिकारी उपनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) मे वर्णित क्षेत्र के लिए पृथक ग्रामसभा स्थापित करने के आशय से एक सार्वजनिक सूचना मे प्रारूप-1 मे जारी करेगा
(ख) प्रत्येक ऐसी सूचना मे प्रस्तावित नवीन ग्राम सभा मे समाविष्ट होने वाले क्षेत्र तथा विद्यमान ग्रामसभा से अपवर्जित होकर शेष रह जाने वाले क्षेत्र तथा उसकी जनसंख्या का विवरण होगा,
(ग) प्रत्येक ऐसी सूचना मे उसमे विनिर्दिष्ट तारीख तक आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे और किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट तारीख के अवसान के पूर्व प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर विहित अधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा,
(घ) प्रत्येक ऐसी सूचना विहित प्राधिकारी के कार्यालय संबंधित ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के सूचना पटल पर और ऐसे आशय से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों मे सहज दृश्य स्थान पर चिपकाकर तथा डोंडी पीटकर प्रकाशित की जायेगी.
(ङ) विहित अधिकारी खण्ड (क) मे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत ऐसी आपत्तियों या सुझावों यदि कोई हो तथा नई प्रस्तावित नई ग्रामसभा मे सम्मिलित होने वाले क्षेत्र के उसकी जनसंख्या, ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी प्रस्तावित क्षेत्र मे रहवासी मतदाताओं की रूढ़ियां एवं परम्पराओं आदि पर विचार कर नई ग्राम सभा के गठन का विनिश्चय करेगा(
5 (1) विहित अधिकारी नवीन ग्राम सभा के गठन की अधिसूचना प्रारूप-2 मे जारी करेगा जिसमे उस ग्राम क्षेत्र मे आनेवाली ग्राम सभाओं का क्षेत्र व उनका विवरण होगा पुनर्गठित ग्राम सभाएं आगामी माह कि प्रथम तारीख से अस्तित्व मे आयेंगी
(2) ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन नियम 4 के उपनियम (3) के खण्ड (घ) मे अधिकथित रीति से किया जायेगा और उसकी एक प्रति जिला कलेक्टर उपसंचालक पंचायत एवं समाज सेवा जिला पंचायत जनपद पंचायत तथा संबंधित ग्राम पंचायत को भेजी जायेगी,
6. ग्रामसभा का सम्मिलन- ग्राम सभा का सम्मिलन ऐसे अंतरालों पर आयोजित किया जायेगा जैसा कि उसके समक्ष विचारार्थ कार्य सूची के आधार पर आवश्यक हो परन्तु ग्रामसभा का प्रत्येक तीन माह मे कम से कम एक सम्मिलन आयोजित होगा परन्तु यह और की ग्रामसभा के एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित

मे मांग करने पर या कलेक्टर या जिला पंचायत द्वारा अध्यपेक्षा किये जाने पर ग्राम सभा का सम्मिलन तीस दिन की कालावधि के भीतर बुलाया जाएगा

३१५ समुचित ------ [----]नियम 1998 [नियम ७-१२

३ [" ७ ग्राम सभा के सम्मिलन की तारीख समय तथा स्थान :
(1) ग्राम सभा का प्रत्येक माह मे कम से कम एक सम्मिलन होगा जो ग्राम सभा के सचिव द्वारा बुलाया जाएगा ग्राम सभा के प्रथम सम्मिलन की तारीख समय तथा स्थान सरपंच द्वारा नियत किया जायेगा और तत्पश्चात् ग्राम सभा वह तारीख समय तथा स्थान नियत करेगी जिस पर पश्चात्वर्ती सम्मिलन किए जायेंगे,
(2) यदि सरपंच या ग्रामसभा के दस प्रतिशत से अधिक सदस्यों या पचास सदस्य जोभी कम हो ग्रामसभा के विशेष सम्मिलन के लिए लिखित मे अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसा सम्मिलन बुलाएगा"]

८. ग्रामसभा के सम्मिलन की सूचना देने की रीति ग्राम सभा का सम्मिलन आहुत किये जाने की सूचना देने की रीति ऐसी होगी जो कि ग्राम सभा नियत करे. मध्यप्रदेश ग्रामसभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) १[नियम, २००१] का नियम ५ इस संबंध मे लागू होगा।

९. गणपूर्ति-(1) ग्रामसभा के किसी सम्मिलन के लिए गणपूर्ति ग्रामसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी, जिसमे एक तिहाई महिला सदस्य होगी,
१[" - - - - "]

टिप्पणी :- अधिनियम की धारा ६ (2) के उपबंध लागू नहि (राज कुमार वि. मध्यप्रदेश राज्य २००३ (५) एम.पी.एल. जे. पेज ३५४)

१० ग्रामसभा के सम्मिलन की अध्यक्षता :- ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता ग्रामसभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्यों द्वारा कि जायेगी जो ग्राम पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या सदस्य न हो और जो इस सम्मिलन मे उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया गया हो

११ ग्राम सभा के सम्मिलन का संचालन - (1) ग्रामसभा के सम्मिलन का संचालन उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो सभापति संबोधित किया जाएगा,

2. सभापति (चेयर परसन) ग्रामसभा की राय से ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ लिये जाने वाले मुद्दो पर चर्चा की प्रक्रिया विनिश्चित करेगा

3. सम्मिलन मे लिए गये निर्णयों का संक्षेप जानकारी के लिए पढकर सुनाया जायगा सचिव उसी के अनुसार विनिश्चियों को कार्यवाही पुस्तक मे अभिलिखित करेगा,

[" १२. ग्रामसभा द्वारा विनिश्चय :- (1) ग्रामसभा के किसी सम्मिलन के समक्ष लाए गए समस्त विषय यथा संभव सर्वसम्मति से विनिश्चित किए जाएगें जिसमे असफल रहने पर उपस्थित सदस्यों के सामान्य मतैक्य (जनरल कान्सेन्सस) से किए जाएगें :

परन्तु जहा किसी ऐसे विवादक पर मतभेद है वहा ऐसा विषय आगामी सम्मिलन के समक्ष

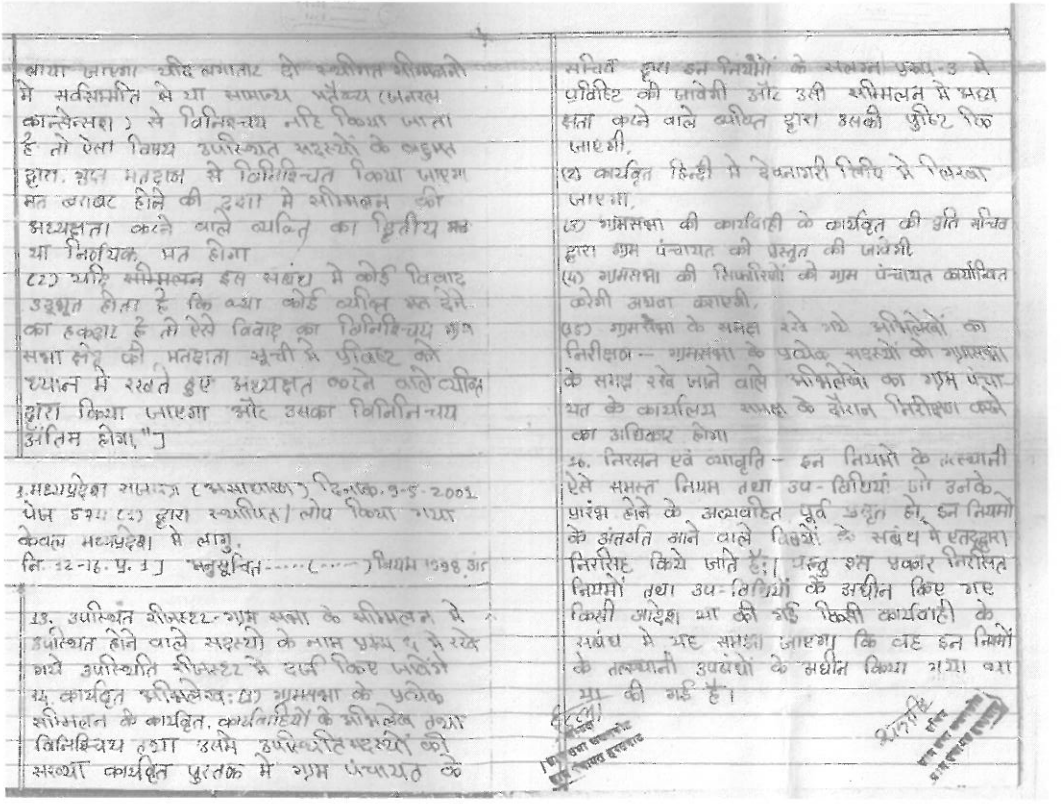

जाया जाएगा और लगातार दो स्थगित सम्मेलनों में सर्वसम्मति से या सामान्य सहमति (जनरल कान्सेन्सस) से विनिश्चय नहीं किया जाता है तो ऐसा विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से विनिश्चित किया जाएगा मत बराबर होने की दशा में सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय मत या निर्णायक मत होगा

(2) यदि सम्मेलन इस संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति मत देने का हकदार है तो ऐसे विवाद का विनिश्चय ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्ट को ध्यान में रखते हुए अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"]

1. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 9-5-2001 पेज 594 (2) द्वारा स्थापित/लोप किया गया केवल मध्यप्रदेश में लागू.

[दि. 12-12. पृ. 1] अनुसूचित-----(-----) नियम 1998 अं

13. उपस्थिति रजिस्टर- ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम प्रारूप 4 में रखे गये उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज किए जायेंगे

14. कार्यवृत्त अभिलेख: (1) ग्रामसभा के प्रत्येक सम्मेलन के कार्यवृत्त, कार्यवाहियों के अभिलेख तथा विनिश्चय तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कार्यवृत्त पुस्तक में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा इन नियमों के संलग्न प्रारूप-3 में प्रविष्ट की जावेगी और उसी सम्मेलन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी,

(2) कार्यवृत्त हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा,

(3) ग्रामसभा की कार्यवाही के कार्यवृत्त की प्रति सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जावेगी

(4) ग्रामसभा की सिफारिशों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करेगी अथवा कराएगी,

15. ग्रामसभा के समक्ष रखे गये अभिलेखों का निरीक्षण -- ग्रामसभा के प्रत्येक सदस्यों को ग्रामसभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा

16. निरसन एवं व्यावृत्ति - इन नियमों के तत्स्थानी ऐसे समस्त नियम तथा उप-विधियां जो इनके प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों तथा उप-विधियों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया था या की गई है।

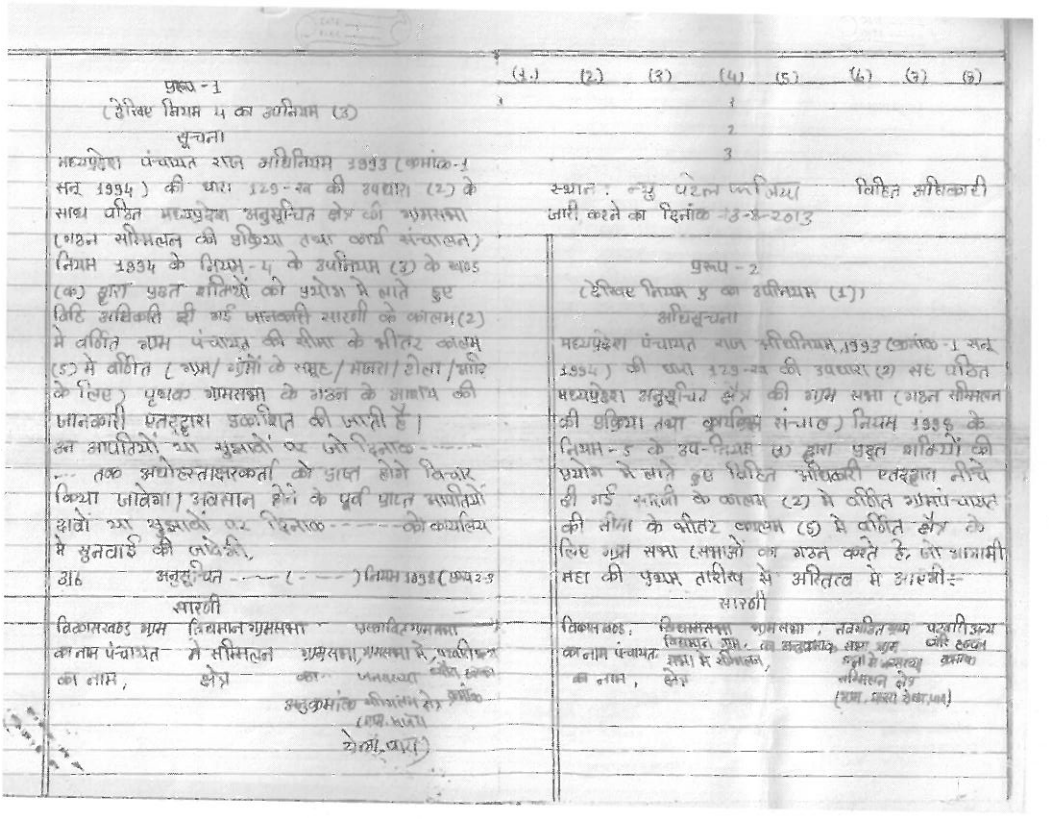

प्रारूप - 1

(देखिए नियम 4 का उपनियम (3)

सूचना

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) की धारा 129-ख की उपधारा (2) के साथ पठित मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1994 के नियम-4 के उपनियम (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए विहित अधिकारी दी गई जानकारी सारणी के कालम (2) मे वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कालम (5) मे वर्णित (ग्राम/ ग्रामों के समूह/ मजरा/ टोला/ आदि के लिए) पृथक ग्रामसभा के गठन के आशय की जानकारी एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है। इन आपत्तियों या सुझावों पर जो दिनांक ------- तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त होंगे विचार किया जावेगा। अवसान होने के पूर्व प्राप्त आपत्तियों दावों या सुझावों पर दिनांक ------- को कार्यालय मे सुनवाई की जावेगी,

अनुसूचित ---- (- ---) नियम 1998 (प्रपत्र 2-3

सारणी

विकासखण्ड ग्राम विद्यमान ग्रामसभा प्रस्तावित ग्रामसभा

का नाम पंचायत मे सम्मिलित ग्रामसभा, ग्रामसभा मे, प्रस्तावित

का नाम, क्षेत्र का जनसंख्या [illegible]

अनुक्रमांक [illegible] क्रमांक

(ग्राम, मजरा)

टोला, पारा)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1				
			2				
			3				

स्थान : न्यू पटेल [illegible] विहित अधिकारी

जारी करने का दिनांक 13-8-2013

प्रारूप - 2

(देखिए नियम 5 का उपनियम (1))

अधिसूचना

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) की धारा 129-ख की उपधारा (2) सह पठित मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्यकरण संचालन) नियम 1998 के नियम-5 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए विहित अधिकारी एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) मे वर्णित ग्रामपंचायत की सीमा के भीतर कालम (5) मे वर्णित क्षेत्र के लिए ग्राम सभा (सभाओं) का गठन करते है, जो आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व मे आयेगी:-

सारणी

विकासखण्ड: विद्यमान ग्रामसभा, ग्रामसभा, नवगठित ग्राम पटवारी/अन्य

का नाम पंचायत विद्यमान ग्राम, का अनुक्रमांक सभा ग्राम और हल्का

सभा मे सम्मिलित, सभा मे जनसंख्या क्रमांक

का नाम, क्षेत्र सम्मिलित क्षेत्र

(ग्राम, मजरा टोला, पारा)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1				
			2				
			3				

स्थान न्यु पेटेल फलिया   विहित अधिकारी
जारी करने का दिनांक 13-8-2013

प्रारूप -3
(देखिए नियम - 14)
ग्रामसभा के कार्यवृत अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम हरसवाट
2. सम्मिलन की तारीख 13-8-2013

प्रारूप 4] अनुसूचित - ---(- -) नियम 1998 3/7

3. सम्मिलन का स्थान न्यु पेटेल फलिया
4. सम्मिलन का समय 11.30 बजे
5 उपस्थित ग्रामसभा सदस्यों की संख्या।

अनुक्रमांक	ग्रामसभा के समक्ष रखे गये विषय	सम्मिलन के कार्यवृत
(1)	(2)	(3)

स्थान : न्यु पेटेल फलिया   ग्राम पंचायत के सचिव
तारीख : 13-8-2013   के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

प्रारूप - 4
(देखिए नियम - 13)
ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति रजिस्टर
1. ग्राम पंचायत का नाम : हरसवाट
2. ग्रामसभा का नाम ग्राम [illegible]
3. सम्मिलन की तारीख 13-8-2013
4. सम्मिलन का स्थान न्यु पेटेल फलिया।
5. सम्मिलन का समय : 11.30 बजे

अध्यक्ष
अध्यक्ष ग्राम सभा ग्राम पंचायत हरसवाट

सचिव
ग्राम सभा ग्राम पंचायत हरसवाट

क्र.	प्रभावित व्यक्तियों का नाम	खाता क्र.	हस्ताक्षर	क्र.	प्रभावित व्यक्तियों का नाम	खाता क्र.	हस्ताक्षर
1	मुकेश % डिलसिंह		मनोहन	15	वालकी % दलु		
2	प्रियंका % मुकेश		प्रियंका	16	लालबाई % दलु		
3	डिलसिंह % हमीर			17	प्रताप % दलु		
4	मीराबाई % डिलसिंह			18	सोनिया % जुरसिंह		
5	वरजु % डिलसिंह			19	राधु % दितला		
6	राकेश % डिलसिंह			20	दशरथ % भुवान		
7	गुजला % डिलसिंह		गुजला	21	जगला % राधु		जगला
8	रत्नु % गुजला			22	अमरसिंह % जालम		[illegible]
9	मांगु % छनसिंह			23	शंकरसिंह % मनसिंह	951	शंकरसिंह
10	रेकड़ी % छनसिंह			24	चन्दा - शंकरसिंह		
11	डिली % मांगु			25	मंगु - जुरसिंह		
12	डिला % छनसिंह			26	दलसिंह - जुरसिंह		
13	सुमारीया % वधु			27	भेरला - जुरसिंह		
14	जनताबाई % सुमारीया			28	डिला - राधु	897	डिला

खेत में जेसीबी से हो रही नाली खुदाई रुकवाई

- गजानंद ब्राह्मणे

सेंधवा के बाहर मेर खेड़ी गांव में मेरा एक प्लॉट है। प्लाट बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ है। एक दिन मेरे पास खबर आई कि मेरे उस प्लाट में जेसीबी मशीन से खुदाई हो रही है। खबर सही है या ग़लत पता करने मैं वहाँ पहुँच गया, तो मैंने देखा कि वाकई में जेसीबी मशीन के द्वारा वहाँ एक नाली को दी जा रही है पता चला कि रिलायंस कंपनी के लिए केबल डालने का काम हो रहा है और इसीलिए पूरे ही रास्ते के किनारे से लोगों को निजी प्लॉटों में नाली खुदाई हो रही है मैंने तुरंत ही सेंडवा पुलिस थाने में फोन किया और बताया कि मेरी जमीन में मेरे अनुमति के बिना खुदाई हो रही है तो वहां से एक सब इंस्पेक्टर मौका जांच के लिए पहुंच गया।

मैंने कहा कि मैं यहां का भूस्वामी हूं. जिसके भी द्वारा यहाँ खुदाई का कार्य हो रहा है उसके खिलाफ आप केस दर्ज करो क्योंकि यह पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहां आदिवासी की भूमि पर उसकी अनुमति के बिना कुछ भी कार्य कर नहीं सकते हो तो फिर मेरी अनुमति के बिना मेरी जमीन में कंपनी का आदमी यहां कैसे खुदाई कर सकता है?

मेरी मां की शिकायत पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही हुई जेसीबी को जप्त किया पुलिस ने और ड्राइवर को पुलिस कस्टडी में भेज दिया मौके का आधार पर मेरे द्वारा फोन से की कंप्लेंट पर कंपनी का अधिकारी खरगोन से पहुंचा अधिकारी ने चालू प्रकरण बनाकर शिकायत दर्ज करवा ली मैंने अपनी मांग रखी कि मेरे अनुमति के बगैर आपने जो काम किया है उसकी एवज में आपको सरकारी रेट से मुआवजे का भुगतान करना होगा जब तक मुआवजा का भुगतान नहीं करोगे तब तक मैं अपनी जमीन में खुदाई नहीं करने दूंगा इस तरह खुदाई का काम तो मैंने रुकवा दिया अधिकारी के पास दर्ज की गई शिकायत के आधार पर बाद में कंपनी ने मुझसे संपर्क किया और मुझे 138000 का मुआवजा सरकारी रेट से मिल गया।

देवी देवताओं के स्थल को ग्राम सभा के माध्यम से मुक्त कराया गया

- वीरेंद्र व मोहन

जब लोग अपने परंपरागत अधिकारों से जबरन वंचित किए जाते हैं तब लोगों को संगठित होकर एक साथ रहने का महत्व समझ में आता है और वे खुद ही अधिकारों के तहत अपने परंपराओं को बचाने में एकजुट होते हैं. आज से कुछ साल पहले की ऐसी ही एक ग्राम सभा की ताकत की कहानी निकल कर आई दमोह जिले से.

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के ग्राम ररियो में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव से लगे जंगल के रास्ते को पत्थर की दीवार बनाकर बंद कर दिया तथा इससे गांव के लोगों को जंगल में बसे अपने देवी–देवताओं की प्राकृतिक पूजा करने के लिए आने–जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था रु कावट को देखते हुए गांव के लोग और संगठन के साथियों द्वारा बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया. इस बैठक में वन विभाग के जबरन हस्तक्षेप पर चर्चा हुई जिसके चलते ग्राम सभा का आयोजन करने की बात उठाई गई. गांव के सरपंच और पंचों को भी वन विभाग द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगवाने के लिए समझाया गया. इस पर चर्चा के चलते गांव के लोगों द्वारा ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई जिसमें चर्चा कर वन विभाग द्वारा बंद किए गए रास्ते को खुलवाने का प्रस्ताव पारित हुआ. इस प्रस्ताव के बारे में वन विभाग को सूचित किया गया और गांव के लोगों द्वारा मार्ग को खुलवाया गया तब से लेकर आज तक ररियो गांव के लोग जंगल में बसे देवी देवताओं के स्थान पर बिना किसी रोक–टोक के आते–जाते रहते हैं। ●●

बोरली के ग्रामीणों ने नदी के पानी पर कब्जा कायम किया

- गजानंद ब्राह्मणे

दैनिक भास्कर | 10-Feb बड़वानी

किसान बोले- फसल पकने तक जारी रखें बिजली सप्लाय, सिचाई न होने से हो रही नष्ट

भास्कर संवाददाता | सेंधवा

बोरली ग्राम पंचायत में शनिवार को ग्रामसभा हुई। इसमें गांव में रहने वाले किसानों ने सरपंच बंटी जमरे को आवेदन देकर बिजली सप्लाय पुनः चालू कराने की मांग की। आवेदन में किसानों ने बताया कुछ दिन पहले उनके सिंचाई कनेक्शन बंद कर दिए। इससे सिंचाई नहीं होने से खेतों में खड़ी गेहूं व अन्य फसल नष्ट हो रही है। आवेदन देने के दौरान किसान कोटवाल खुमसिंह, रामचंद्र सुरसिंह, पठान ज्ञानसिंह, रूपाल लालु, तुकाराम नाना, आत्मसिंह ज्ञानसिंह, रमेश नाना, गुजरिया लालु, द्वारका आरसिंह, कैलाश गणस्या शामिल थे।

बोरली में हुई ग्रामसभा में शामिल गांव के लोग।

किसानों ने समस्या देखते हुए फसल पकने तक बिजली प्रदाय शुरू करने की मांग की। किसानों का पत्र मिलने के बाद सरपंच ने विधायक के नाम पत्र लिखकर बिजली प्रदाय चालू कराने की मांग की।

सेंधवा के पास गोई नदी के किनारे बोरली गांव बसा है. यहां के आदिवासी किसान वर्षों से गोई के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते आ रहे हैं. सिंचाई हेतु किसानों ने कई विद्युत मोटर पंप नदी में लगाए हैं. इस वर्ष भी गेहूं और कपास की फसल खेतों में खड़ी थी और इसी बीच जनवरी2019में बिना कोई पूर्व सूचना दिए बिजली विभाग ने इनके बिजली कनेक्शन काट दिए. इतना ही नहीं बिजली कनेक्शन काटने आए बिजली कर्मचारियों का विरोध करने वाले किसानों पर प्रकरण भी दर्ज किए गए. सेंधवा शहर को जल प्रदाय करने के लिए अब गोई का पानी जाएगा इसलिए सिंचाई पर रोक लगी है ऐसा कारण बताया गया. सैकड़ों एकड़ों में लगी गेहूं की फसल सूखने का संकट किसानों के सामने खड़ा हो गया. तब बोरली के लोगों ने मुक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में एक ग्राम सभा बुलाई जिसमें गांव के

सारे लोग मौजूद हुए और एक प्रस्ताव लिखा गया कि जब कि गांव के अंदर के सारे प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा का है तो कैसे हमारे बिजली पर सप्लाई काट कर हमें नदी का पानी लेने से रोका जा रहा है? पानी लेने के पूर्व ग्रामसभा की अनुमति क्यों नहीं ली गई? फसल नष्ट होने पर उसका जिम्मेदार कौन होगा? संवैधानिक अधिकारों से लैस ग्राम सभा के अधिकारों का हनन करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के ऊपर तुरंत कार्यवाही की जाए ऐसी भी मांग प्रस्ताव में रखी गई. प्रस्ताव की कॉपी एसडीएम सेंधवा को दी गई. एसडीएम को प्रस्ताव देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग भी साथ में सेंधवा पहुंचे. प्रस्ताव प्रस्ताव पढ़कर एसडीएम हैरान सा दिखा क्योंकि आज तक भी ग्रामसभा को मिले अधिकारों की जानकारी उच्चाधिकारियों के पास नहीं है. ऐसे में जन संगठनों को ग्रामीणों के साथ–साथ अधिकारियों को भी शिक्षित करने का काम करना पड़ रहा है. लोगों की जागरूकता और एकता के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और बोरली का विद्युत प्रदाय फिर से चालू हुआ. किसानों पर दर्ज प्रकरण भी वापस लेने पड़े। ●●

जब ग्राम सभा थाने पहुँच गई

- राजेश कनौजे

पानसेमल तहसील के आम झिरी गांव में लोगों की 13.5 हेक्टर पट्टे वाली जमीन को वन विभाग में डायवर्ट कर दिया गया .क्यों? क्योंकि सिंचाई विभाग ने सिंचाई हेतु वन विभाग की जमीन पर तालाब बना दिया. वन विभाग की उस जमीन के बदले लोगों की पट्टे वाली जमीन जो वन भूमि से लगी हुई थी वन विभाग को दे दी. जब एक दिन वन विभाग के कर्मचारी आ कर लोगों की पट्टे वाली जमीन पर खड्डे खोदने लगे और तार फेंसिंग करने लगे तब लोगों ने सवाल–जवाब किया तो पता चला कि यह जमीन तो वन विभाग को सुपुर्द कर दी गई है.!!! फिर आईटीआई लगाया और जानकारी मांगी तो पूरी बात सामने आई. आरटीआई लगाकर जानकारी मिलने के बाद गांव में कार्यकर्ताओं ने ग्राम सभा बुलाई और लोगों को समझाया कि 'बिना ग्रामसभा की अनुमति के वन विभाग हमारे पट्टे वाली जमीन पर कैसे गड्ढे खोद सकता है और तार तार फेंसिंग कर सकता है ?'

भू अर्जन के पूर्व ग्राम सभा से परामर्श क्यों नहीं किया गया? 'आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता तो फिर रेवेन्यू विभाग ने कैसे हमारी जमीन फॉरेस्ट विभाग को दे दी? 'हमसे अनुमति लेना तो दूर की बात, हमें सूचना भी नहीं दी गई 'अतः पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में संविधान का उल्लंघन हुआ है इस लिए उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए.

ग्रामसभा में तय हुआ कि संविधान का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कि मांग करते हुए सीधा थाने में पहुंचा जाये. फिर किस बात कि देरी थी? रैली के रूप में आमझिरी कि ग्रामसभा खेतिया थाने में पहुँच गयी. संविधान के उल्लंघन के आरोप में बिना जिला कलेक्टर के ऊपर एफ आई आर दर्ज करने की मांग ग्राम सभा के द्वारा थानेदार के समक्ष रखी गई ऐसी अनोखी रैली और ऐसी मांग के साथ थाने में कभी नहीं आई थी तो थानेदार बताने के कर्मचारी भी बहू चक्के देखते और सुनते रहे. ठाणे थानेदार ने कहा मैं अधिकारी के खिलाफ FIR नहीं लिख सकता.

लोगों ने कहा कि अगर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो हम आगे कोर्ट में जाएंगे. फिर पुलिस ने यह तर्क दिया कि हम पहले जांच करते हैं उसके बाद ही शिकायत दर्ज करेंगे.लोगों का आक्रोश देखते हुए पुलिस ने आमझिरी जा कर मौका जांच करने पर पाया कि शिकायत तो सही है. फिर ग्राम सभा की मांग पर एसडीएम, तहसीलदार और फॉरेस्ट रेंजर को नोटिस भेजा गया.

ग्रामसभा के थाने में घुसने की इस घटना के बाद फिर से वनविभाग वाले आमझिरी में आये नहीं और लोग चौन से अपनी खेती कर रहे है।

प्रकाशन - 'श्रुति' संस्था
फ़ोन – 26964946
प्रथम संस्करण - 2019

ले मशालें चल पड़े हैं

ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के
अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के

पूछती हैं झोंपड़ी और पूछते हैं खेत भी
कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के

बिन लड़े कुछ नहीं मिलता यहां से जानकर
अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के

चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से
बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के

श्रुति, हौज़ खास, दिल्ली